कुंभलगढ़: त्रुटिपूर्ण संरक्षण की कहानी

2022

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष

कुंभलगढ़: त्रुटिपूर्ण संरक्षण की कहानी

शोध टीम: मीनल तत्पति, श्रुति अजीत और अक्षय छेत्री (कल्पवृक्ष, पुणे); तिलोत्तमा सरकार;

जगदीश पालीवाल और मगन लाल राइका (घानेराओ और हिरावव गाँव) और

हिम्मत श्रीमाली (सेवा मंदिर)

रिपोर्ट प्रकाशन कल्पवृक्ष

लेखन: मीनल तत्पति

संपादन: सुधा राघवेंद्रन

सभी चित्र: कल्पवृक्ष

हिन्दी अनुवाद: निधि अग्रवाल

उल्लेख: तत्पति एम. (2021). कुंभलगढ़: त्रुटिपूर्ण संरक्षण की कहानी। कल्पवृक्ष, पुणे

आभार: सेवा मंदिर (विशेषकर शैलेन्द्र तिवारी और हिम्मत श्रीमाली) और लोकहित पशु पालक संस्थान के प्रति लेखक बेहद आभारी हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट के शोध में महत्वपूर्ण सहयोग किया।

इस अध्ययन के लिए रोहिणी नीलेकानी फिलनथ्रोपीज़ ने सहयोग दिया।

सारांश

वर्ष 2011 से, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रमिक विस्तार प्रक्रिया चल रही है जिसमें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत इसकी स्थिति में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।इसके कारण कई उभरते हुए मुद्दे सामने आए हैं जोकि स्थानीय लोगों के अधिकारों की मान्यता, अभ्यारण्य के आस-पास के कुछ गांवों की सामूहिक भूमि पर कब्ज़ा करने, वन विभाग द्वारा जबरनबेदखली के प्रयासऔरराजस्थान के अंदर त्रुटिपूर्ण बाघ पुनर्वास कीनीतिसे जुड़े हुए हैं।यहअध्ययन इनमेंसे कुछ उल्लंघनों के दस्तावेज़ीकरण का एकप्रयासहै।

यह रिपोर्ट देश भर के संरक्षित क्षेत्रों में हो रहे ऐसे उल्लंघनों को समझने और दस्तावेज़ीकरण करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दो पृष्ठभूमियों - कॉर्बेट-पावागढ़-नंदहौर और कुंभलगढ़ का चुनाव किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में स्थानीय समूहों के प्रति हमारी वचनबद्धता रही है। इस के साथ-साथ, संरक्षित क्षेत्रों के इर्द-गिर्द टकराव/संघर्ष की स्थितियों के विस्तृत और निरंतर मानचित्रण की प्रक्रिया यहाँ जारी है - https://kalpavriksh.org/our-work/conservation-livelihoods/protected-areas-governances/mapping-conflicts-in-protected-areas/

विषय वस्तु

संक्षेपाक्षर

परिचय

कुंभलगढ़ - टॉडगढ़ की पृष्ठभूमि

श्रेणियों और प्रक्रियाओं का उलझाव

वन्यजीव, लोग और न्यायालय

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में वनाधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

निष्कर्ष

परिशिष्ट

संक्षेपाक्षर

सी.ई.सी.	केन्द्रीय सशक्त कमिटी
सी.एफ.आर.	सामुदायिक वन संसाधन
सी.डब्लू.डब्लू.	प्रमुख वन्यजीव वॉर्डन
डी.सी.	ज़िलाधिकारी
डी.सी.एफ.	वन उप-संरक्षक
ई.डी.सी.	ईको-विकास कमिटी
ई.एस.ज़ेड.	परिस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्र
एफ.आर.ए.	वनाधिकार अधिनियम या अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006
एफ.आर.सी.	वन अधिकार कमिटी
आई.ए.	वादकालीन आवेदन
आई.एफ.आर.	व्यक्तिगत वन अधिकार
जे.एफ.एम.	संयुक्त वन प्रबंधन
आई.ए.	अंतरिम आवेदन
के.डब्लू.एल.एस.	कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य
एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एन.पी.	राष्ट्रीय उद्यान
एन.टी.सी.ए.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एन.टी.एफ.पी.	गैर-काष्ठीय वन उत्पाद
पी.ए.	संरक्षित क्षेत्र
एस.डी.ओ.	उप-खंड अधिकारी
एस.बी.डब्लू.एल.	राज्य वन्यजीव बोर्ड
टी.आर.	बाघ आरक्षित क्षेत्र
टी.आर.डब्लू.एल.एस.	टॉडगढ़-राओली वन्यजीव अभ्यारण्य
डब्लू.एल.पी.ए.	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
डब्लू.एल.एस.	वन्यजीव अभ्यारण्य

परिचय

वर्ष 2019 की शुरुआत में, समाचारों में कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के बारे में खबरें आने लगी थीं, जिसके क्षेत्र में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य (के.डब्लू.एल.एस.) और टॉडगढ़-राओली वन्यजीव अभ्यारण्य (टी.आर.डब्लू.एल.एस.)[1] के संलग्न क्षेत्र शामिल थे। राष्ट्रीय उद्यान बनाने के प्रयोजन की प्राथमिक अधिसूचना नौ वर्ष पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी।[2] प्राथमिक अधिसूचना के बाद, कई गांवों ने इस घोषणा के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें से हाल का प्रदर्शन पाली ज़िले के सादड़ी कस्बे के आसपास रहने वाले राइका समुदाय ने किया था। यह बहस चल ही रही थी, कि स्थानीय अखबारों में रिपोर्ट आई कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) ने के.डब्लू.एल.एस. को बाघ आरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व) में तब्दील करने की साध्यता को परखने के लिए एक कमिटी का गठन किया है और इस कमिटी ने क्षेत्र में बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने के पक्ष में मूल्यांकन दिया है।[3] यहाँ इस पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि 1960 के दशक में शिकार के कारण इस क्षेत्र से बाघ अदृश्य हो चुके थे और यह क्षेत्र वर्तमान में किसी बाघ गलियारे (कॉरीडोर) से जुड़ा हुआ नहीं है!

भारत, और विशेषकर राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र बनाने का इतिहास दर्शाता है कि अक्सर यह संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (डब्लू.एल.पी.ए.), 1972 के अंतर्गत दी गई प्रक्रियाओं के उल्लंघन में बनाए गए हैं, जिसमें स्थानीय लोगों के मत का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था, और उन्हें अमानवीय तरीके से विस्थापित करके गरीबी में धकेल दिया गया।[4]अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (वनाधिकार अधिनियम या एफ.आर.ए.) के अंतर्गत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता के प्रावधान दिए गए हैं (वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ आरक्षित क्षेत्रों के अंदर) और इसमें स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्रों के सह-प्रबंधन के लिए भी अवसर दिए गए हैं।इसके अंतर्गत ग्राम सभा[5] को सशक्त किया गया है कि वे अपनी जैवविविधता का संरक्षण करें और प्रबंधन योजनाएँ तैयार करके उनका कार्यान्वयन करें जिन्हें वन विभाग की मौजूदा योजनाओं में शामिल किया जाए।

यह देखते हुए कि घोषणा के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे, यह समझना ज़रूरी था कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से पहले डब्लू.एल.पी.ए. और एफ.आर.ए. के अंतर्गत दी गई अधिकारों की मान्यता प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया या नहीं? क्या पहले से मौजूद अधिकारों को ध्यान में रखा गया? क्या सह-अस्तित्व तथा सह-प्रबंधन के सभी विकल्पों के बारे में विचार किया गया या नहीं?यह अध्ययन प्रस्तावित कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए चलाई गई प्रक्रिया को समझने का एक प्रयास है।

---

[1] https://www.patrika.com/udaipur-news/ranakpur-mouchela-mahavir-temple-will-remain-from-kumbhalgarh-nationa-4703726/

[2] https://udaipurtimes.com/kumbhalgarh-wildlife-sanctuary-to-become-national-park/

[3] https://www.hindustantimes.com/cities/jaipur-news/rajasthan-may-get-another-tiger-reserve-in-the-kumbhalgarh-area-of-udaipur-division-101633948867581.html

[4](लसगोरकेक्ष और कोठारी, 2009); (फनारी, 2019); (रंगराजन और शहाबुद्दीन, 2006)

[5]एफ.आर.ए., 2006 की धार 2 (जी) में ग्राम सभा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है '...ग्राम सभा जिसमें गाँव के सभी वयस्क सदस्य शामिल हों और यदि किसी राज्य में कोई पंचायत, पाड़ा, टोला या अन्य पारंपरिक ग्राम संस्थान और निर्वाचित ग्राम कमिटी नहीं है, तो महिलाओं की पूरी और अबाध्य भागीदारी।'

उद्देश्य

भारत और विश्व भर में किए गए अध्ययनों ने साबित किया है कि 'वर्जनात्मक संरक्षण' अक्सर वर्जित किए गए स्थानीय समुदायों, उद्यान प्रबंधन और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है। इस दिशा में, एफ.आर.ए. एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आया है जिसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर हमारे वनों में सह-अस्तित्व और सह-प्रबंधन का एकीकरण किया जा सकता है। लेकिन, चूंकि संरक्षित क्षेत्रों में इस अधिनियम का क्रियान्वयन काफ़ी निराशाजनक रहा है, कल्पवृक्ष संरक्षित क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया का दस्तावेज़ीकरण कर रहा है, विशेषकर बाघ आरक्षित क्षेत्रों का, यह निर्धारित करने के लिए कि एफ.आर.ए. के अंतर्गत अधिकारों की मान्यता और डब्लू.एल.पी.ए. तथा एफ.आर.ए. के अंतर्गत सह-अस्तित्व और सह-प्रबंधन की संभावनाओं का पालन किया गया है या नहीं।[6]कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा और उसके बाद के वर्षों में उसके प्रबंधन के कारण वन विभाग और स्थानीय चरवाहा राइका समुदाय के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है।[7]राष्ट्रीय उद्यान या बाघ आरक्षित क्षेत्र की उद्घोषणा से स्थानीय चरवाहा समूहों और आदिवासियों की स्थिति और ज़्यादा गंभीर बन सकती है।

इसलिए, निम्नलिखित पहलुओं केदस्तावेज़ीकरण करने और समझ बनाने की ज़रूरत हुई:

- क्या डब्लू.एल.पी.ए. और एफ.आर.ए. के अंतर्गत चलाई गई प्रक्रिया में स्थानीय लोगों के अधिकारों और वन्यजीव संबंधित मुद्दों को सही तरीके से संबोधित किया गया है?
- स्थानीय समुदायों के अधिकारों के प्रति प्रशासन की प्रतिक्रिया
- जैवविविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों के प्रयास

कार्यप्रणाली

कल्पवृक्ष पाली ज़िले के राइका समुदाय के साथ अध्ययन और वकालत की प्रक्रिया में शामिल रहा है।[8]यह अध्ययन इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके तहत क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र प्रशासन और प्रबंधन को समझने का प्रयास किया जा रहा है। पाली ज़िले के कुछ गांवों में पहले इंटरव्यू वर्ष 2011 में किए गए, जिसमें लोकहित पशु पालक संस्थान (एक स्थानीय गैर-सरकारी संस्था जो राइका समुदाय के साथ काम करती है) ने सहयोग किया। इसके बाद, जब राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम उद्घोषणा की खबरें आने लगीं, तो जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के बीच तीन और भ्रमण किए गए। उसके तुरंत बाद, अखबार की खबरों और एन.टी.सी.ए. की बैठकों से बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाने की योजना के बारे में पता चला, और अक्तूबर 2021 में इसकी जांच के लिए एक और भ्रमण किया गया। सेवा मंदिर और लोकहित पशु पालक संस्थान ने इस अध्ययन के अलग-अलग चरणों में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। पाली ज़िले के गांवों के स्थानीय समुदायों के कुछ सदस्यों ने भ्रमण और साक्षात्कार लेने में मदद की। टीम ने उदयपुर और राजसमंद में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार वन अधिकारियों के साथ बैठक की और गहन चर्चाएँ कीं।

---

[6] https://kalpavriksh.org/our-work/conservation-livelihoods/protected-areas-governances/mapping-conflicts-in-protected-areas/

[7] (कोलर रोलेफ़सन, *हाई एण्ड ड्राइ: कॉनज़र्वशन कैन नॉट इग्नोर पैस्टोरल राइट्स, 2015*)

[8] (तत्पति और अजीत, 2019)

किला कुंभलगढ़ गाँव में बैठक

टीम ने किला कुंभलगढ़ के गाँव गवार पंचायत, सेवन्तरी पंचायत के कोयला गाँव, और वरदरा पंचायत के गाँव दुधलिया (राजसमंद ज़िला) और लताड़ा, सदड़ा और जोबा गाँव (पाली ज़िला), खरनी टोकरी, गुड़ा भोप सिंह और गरासिया कालोनी (घानेराव ग्राम पंचायत) में लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर तथा गाँव के लोगों के समूहों से चर्चाएँ कीं। इसके अतिरिक्त, बाली और देसूरी तहसील के उप-खंड अधिकारियों तथा पाली ज़िले के ज़िलाधिकारी के साथ भी जुलाई 2019 में बैठकें की गईं। टीम ने ज़िलाधिकारी, पाली और वन खंड संरक्षण अधिकारी, उदयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई लिखित सामग्री और दस्तावेज़ों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, टीम ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पर किए गए अध्ययनों, शैक्षणिक सामग्री की भी समीक्षा की।

सीमाएं

कल्पवृक्ष पाली ज़िले के कुछ गांवों के साथ काम करता आया है, इसलिए हमारे लिए इस ज़िले के अंदर जानकारी प्राप्त करना आसान था। टीम राजसमंद और उदयपुर ज़िलों की प्रक्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। टीम ने टॉडगढ़-राओली डब्लू.एल.एस. में भी भ्रमण नहीं किया है इसलिए यह रिपोर्ट प्रमुखतः कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रक्रियाओं पर ही आधारित है। अधिकारों की बन्दोबस्ती से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे। इसलिए यह रिपोर्ट भूमि अलगाव से जुड़े मुद्दों की समझ बनाने के लिए गाँव के लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर है। यह अध्ययन भूमि स्वामित्व, अधिकारों की मान्यता और बन्दोबस्ती और के.डब्लू.एल.एस. में इससे संबंधित मुद्दों का एक प्रारम्भिक विश्लेषण है। कुंभलगढ़ डब्लू.एल.एस. में ऐसे मामलों की गहरी समझ बनाना एक निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। हम इस अध्ययन के फील्ड कार्य के दौरान अभ्यारण्य के अंदर समुदायों द्वारा संरक्षण के प्रयासों की समझ भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन इन प्रयासों का दस्तावेज़ीकरण भविष्य में पूरा किया जाएगा।

कुंभलगढ़ - टॉडगढ़ की पृष्ठभूमि

कुंभलगढ़ डब्लू.एल.एस. के अंतर्गत 610.528 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है जो कि उदयपुर, राजसमंद और पाली ज़िलों के क्षेत्रों से लिया गया है, जबकि टॉडगढ़-राओली डब्लू.एल.एस. के अंतर्गत 495.27 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है जो कि राजसमंद, पाली और अजमेर ज़िलों से लिया गया है। यह परिदृश्य अरावली पहाड़ियों के जंगलों और इसके पश्चिम में थार रेगिस्तान के बीच एक *इकोटोन* के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र वनस्पतियों और वन्यजीवों की प्रजातियों की विवधता के लिए भी जाना जाता है। इसक्षेत्र से बारहमासी धाराएँ भी निकलती हैं जो आगे चल कर नदियों का रूप ले लेती हैं।

(स्रोत: https://sustain.round.glass/habitat/guide-kumbhalgarh-and-todgarh-raoli/)

इस परिदृश्य में आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदाय कई पीढ़ियों से निवास करते आए हैं और इस क्षेत्र पर अपनी आजीविका और निर्वाह के लिए आश्रित हैं। के.डब्लू.एल.एस. की सीमा के अंदर कुल 24 गाँव हैं और टी.आर.डब्लू.एल.एस. में 27। कुल मिलाकर, इन दोनों अभ्यारण्यों की सीमा पर 250 से अधिक गाँव बसे हैं। अभ्यारण्य के अंदर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय शामिल हैं, जैसे कि भील, मीणा, गरासिया, और गैर-आदिवासी समूह जैसे कि राइका, राजपूत और मेघवाल। यह सभी समुदाय मुख्य रूप से पशुपालन, कृषि, लघु वनोपज के संग्रह पर निर्भर हैं और कई युवा आजीविका के लिए शहरों में चले जाते हैं। गाँव अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर हैं, जैसे कि गैर-काष्ठीय उत्पाद संग्रह, मवेशियों और जानवरों को चराना, खेती के उपकरणों के लिए लकड़ी, जलाऊ लकड़ी। इसके अलावा, वे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी इस परिदृश्य से जुड़े हुए हैं।

एक राइंका KWLS में अपने ऊंट के साथ

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कुंभलगढ़ के परिदृश्य के अंदर और उसकी सीमाओं पर कई गाँव बसे हैं। इस क्षेत्र को शिकार आरक्षित क्षेत्र की तरह उपयोग किया जाता था, लकड़ी का व्यापारिक दोहन किया जाता था और अंततः इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया; और पूरे इतिहास में कृषि, चरवाहा और आदिवासी समूह इस क्षेत्र में रहते आए हैं। औसत भूमि -धाराण छोटे आकार के हैं, इसलिए कृषि-चरवाहा यहाँ का प्रमुख आजीविका विकल्प है। अध्ययन दर्शाते हैं कि कृषि और पशुपालन यहाँ के वन्यजीवों की खुराक का काफ़ी अहम हिस्सा रहा है, जहाँ शाकभक्षी पशु जैसे कि नीलगाय, जंगली सूअर, रीछ और लंगूर डब्लू.एल.एस. की सीमा के गांवों में फसलों पर धावा बोलते हैं और दूसरी ओर तेंदुए, सियार और भेड़िये उनके पशुओं पर।[9]

[9](छानगनी, रॉबिन्स, और मोहनोत, 2008); (करन्थ, जैन और वेनथिल, 2019)

श्रेणियों और प्रक्रियाओं का उलझाव

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा वर्ष 1971 में राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ./सी.(2) रेव./एफ./7, दिनांक 13.7.1971 के माध्यम से की गई ; जो कि राजस्थान वन्यजीव और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951[10] के अंतर्गत थी। (परिशिष्ट 1 देखें)

इसके बाद, पाली, उदयपुर और राजसमंद ज़िले के ज़िलाधिकारियों ने वर्ष 1998 में अभ्यारण्य के क्षेत्र को पुनः-अधिसूचित किया, और इसके परिणामस्वरूप, यह वर्तमान में 601.528 वर्ग कि.मी.[11] में फैला हुआ है। टॉडगढ़-राओली वन्यजीव अभ्यारण्य को पाली, राजसमंद और अजमेर ज़िलों के 495.27 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बनाया गया और इसकी घोषणा राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या 11(56) रेव ग्रुप 8, दिनांक 28.9.1983 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत की गई। अभ्यारण्य का वर्तमान क्षेत्रफल 495.27 वर्ग कि.मी. है। इससे पहले, यह वन स्थानीय राजाओं के शिकार आरक्षित क्षेत्र हुआ करते थे। सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 1884 में हुई, और वर्ष 1887 में वनों को राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया।[12] आज़ादी के बाद, जब तक कि उन्हें अभ्यारण्य घोषित नहीं कर दिया गया तब तक वनों के कुछ अंशों का व्यापारिक उपयोग जारी रहा। डब्लू.एल.पी.ए. अधिनियम बनने के बाद, के.डब्लू.एल.एस. को केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए धनराशि मिलती रही है और यह वर्ष 1983 में वन्यजीव विभाग के आधीन आ गया।[13]वर्ष 2007 में, कुंभलगढ़ - टॉडगढ़ राओली डब्लू.एल.एस. को राजस्थान सरकार की सर्वोतकृश 'परियोजना तेंदुआ' के अंतर्गत चयनित किया गया।[14]के.डब्लू.एल.एस. पर उदयपुर वन्यजीव विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण है और टी.आर.डब्लू.एल.एस. पर राजसमंद वन विभाग का। के.डब्लू.एल.एस. के 35 खंडों में से, 32 आरक्षित वन हैं और 3 संरक्षित वन (परिशिष्ट 2 देखें)।

वर्ष 2012 की शुरुआत में, अभ्यारण्य को टॉडगढ़ राओली वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने के आशय की अधिसूचना प्रकाशित की गई (परिशिष्ट 3 देखें)। वर्ष 2019 में, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के आशय का प्रचार किया गया लेकिन इस दिशा में कोई कदम उठाने से पहले, बाघ आरक्षित क्षेत्र का प्रस्ताव दे दिया गया। वर्ष 2011 में एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा परिस्थितकीय संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.ज़ेड.)[15] दिशा-निर्देश प्रकाशित किए जाने के तुरंत बाद, राजस्थान वन विभाग ने के.डब्लू.एल.एस. की उद्घोषणा की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसे कुछ समय रोक कर रखा गया और जून 2020 में फिर से शुरू किया गया, और एक प्रस्तावित मसौदे को टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया गया।[16]वर्तमान में, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. की ई.एस.ज़ेड.पर विशेषज्ञ कमिटी ने राजस्थान राज्य सरकार से ई.एस.ज़ेड. की प्रस्तावित अधिसूचना पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों को इकट्ठा करके उनकी समीक्षा करने के लिए कहा है।[17]

---

[10]अधिसूचना में कुल उद्घोषित क्षेत्रफल का ज़िक्र नहीं था, लेकिन उसकी सीमाओं की जानकारी दी गई थी।

[11]वन्यजीव आवासस्थलों के समेकित विकास (केंद्र द्वारा वित्तपोषित परियोजना), 2021-20 22 के अंतर्गत कुंभलगढ़ डब्लू.एल.एस. के संचालन की वार्षिक योजना

[12](रॉबिन्स, मैकस्वीनी, छानगनी, और राइस, 2009)

[13]प्रबंधन योजना

[14]https://www.rajras.in/index.php/rajasthan-becomes-first-state-country-launch-project-leopard/

[15]पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उप-धारा (1) के साथ खंड (v) और उप-धारा (2) के खंड (xiv) और धारा 3 की उप-धारा (3) और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अंतर्गत ई.एस.ज़ेड. घोषित किया जाता है। इसका क्षेत्रफल किसी राष्ट्रीय उद्यान या डब्लू.एल.एस. की सीमा से अधिकतम 10 कि.मी. तक हो सकता है। इस क्षेत्र का उद्देश्य बिना किसी संरक्षण वाले क्षेत्रों और उच्च संरक्षण क्षेत्रों के बीच 'आघात अवशोषक' (*शॉक अब्सॉर्बर)* का काम करना होता है। इसका लक्ष्य होता है कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में खनन या खतरनाक औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिबंध के माध्यम से विनाशकारी गतिविधियों के दबाव को कम किया जा सके, और कुछ निर्माण गतिविधियां जैसे कि होटलों और सड़कों का निर्माण नियंत्रित किया जा सके।

[16] https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2019/10/kumbhalgarh.pdf

[17] http://www.moef.gov.in/wp-content/uploads/2021/03/Draft_Minutes_45thECM.pdf

सितंबर 2021 में, एन.टी.सी.ए. ने इस परिदृश्य में बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाने की साध्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ कमिटी भेजी जिसने मानवीय बस्तियों, बाघों के आवास, परिदृश्यात्मक संयोजकता आदि को परखना था।[18]

राजस्थान पत्रिका, पाली, सोमवार, 17 जून, 2019

रणकपुर जैन मंदिर व मुछाला महावीर जैन तीर्थ उद्यान सीमा से रहेंगे मुक्त

तैयारियां: कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में ही रहेंगे परशुराम तीर्थ व सूर्य मंदिर

पत्रिका ब्राउंड रिपोर्ट

37 धार्मिक स्थलों के दावों के निस्तारण के बाद तय हुई सीमा

पाली, उदयपुर, राजसमंद व अजमेर जिलों की सीमा में बनाया उद्यान

ये धार्मिक स्थल रहेंगे सीमा में

राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का किया निर्धारण

परशुराम तीर्थ: जहां लाखों लोग आते हैं दर्शन करने

ये चिंतन का विषय

आस्था से छलावा

अब जारी होगी अन्तिम अधिसूचना

स्थानीय अखबारों में प्रस्तावित कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा

समाचार खबरों से पता चलता है कि कमिटी ने बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र को अनुकूल पाया है लेकिन कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं और सुझाव दिया है जिन पर वन विभाग को विशिष्ट कदम उठाने होंगे।[19]

13 मार्च 2011 को उदयपुर के उप-प्रमुख वन्यजीव पालक द्वारा तैयार किए गए मानचित्र और जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान (जिसे दस्तावेज़ में अरावली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा गया है), के अंदर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य (के.डब्लू.एल.एस.) और टॉडगढ़ राओली वन्यजीव अभ्यारण्य (टी.आर.डब्लू.एल.एस.) के कुछ हिस्से शामिल होंगे (परिशिष्ट 4)। लेकिन अगस्त 2019 में वन उप-संरक्षक, राजसमंद द्वारा राजस्थान विधान सभा को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से - 176.97 है. कोटड़ा खंड के, 4465.57 है. माजवाड़ा, बोखंडा और मामादेव कि भुज के और 9.84 है. सादड़ी खंड के - बाहर निकाल दिए गए हैं (परिशिस्ट 5)। परिशोधित क्षेत्र का मानचित्र अभी उपलब्ध नहीं है। यह प्रक्रिया 2019 में पुनः चालू कर दी गई और साथ ही कुंभलगढ़ में संभावित बाघ आरक्षित क्षेत्र बनने की खबरें 2020 की शुरुआत में आनी शुरू हुई।[20]

संभव है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का पहला विचार 30 अगस्त, 2016 की राजस्थान राज्य वन्यजीव बोर्ड (एस.बी.डब्लू.एल.)[21] की स्थायी समिति की बैठक में आयाहै।[22] उस समय के प्रमुख वनपाल (वन्यजीव), उदयपुर का प्रस्ताव था कि क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को प्रमुख वन्यजीव वनपाल द्वारा खारिज कर

[18] https://udaipurtimes.com/travel-and-tourism/ncta-to-study-feasibility-of-tiger-reserve-in-kumbhalgarh/cid4256572.htm

[19] https://www.msn.com/en-in/news/other/rajasthan-may-get-another-tiger-reserve-in-the-kumbhalgarh-area-of-udaipur-division/ar-AAPn7ND

[20] https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/can-kumbhalgarh-be-upgraded-to-a-tiger-reserve-ntca-to-raj/articleshow/74308935.cms

[21]राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। बोर्ड की ज़िम्मेदारियों की सूचि धारा 8 में दी गई है और इसमें संरक्षित क्षेत्रों के चुनाव और प्रबंधन करना भी शामिल है।

[22]0_0_05_Oct_2016_172643670_minuts_StandingcommitteeofSBWL.pdf (forestsclearance.nic.in)

दिया गया था। उस समय हुई चर्चा से यह भी पता चलता है कि कुछ विशेषज्ञ सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि इस प्रक्रिया में क्या आकस्मिकताएँ हो सकती हैं। यहाँ ध्यान देना उपयोगी है कि बैठक में क्या चिंताएँ व्यक्त की गईं:

- कि भविष्य में बाघ इस क्षेत्र से हटाए नहीं जा सकेंगे
- कि इस क्षेत्र में बाघों की मौजूदगी के कोई रिकार्ड नहीं हैं
- कि इस क्षेत्र में उनके लिए पर्याप्त शिकार नहीं है
- कि रामगढ़ बिषधारी अभ्यारण्य, मुकुंद्र बाघ आरक्षित क्षेत्र और ढोलपुर वनों के रणथमबोर बाघ आरक्षित क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद वहाँ कोई बाघ नहीं हैं।

इसलिए राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए रोक दिया कि, '... जब तक कि मुकुंद्र बाघ आरक्षित क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक बिना बाघों की मौजूदगी के किसी भी नए क्षेत्र को महत्वपूर्ण बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता'।

राजस्थान राज्य में बाघों की संख्या यह दर्शाती है कि पिछले कुछ वर्षों में संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2006 के आँकड़े दिखाते हैं कि उस समय बाघों की संख्या 32 के आसपास थी, जो कि 2018 में बढ़कर 69 हो गई।[23] इनमें से अधिकांश बाघ सरिस्का और रणथमबोर बाघ आरक्षित क्षेत्रों में स्थित हैं। वास्तव में, इस स्तर की सफलता ने एक अप्रत्याशित समस्या को जन्म दे दिया है। बहुत कम जगह में बहुत अधिक बाघ रह रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं![24] शुरुआत में राजस्थान सरकार रणथमबोर के आसपास के बफर ज़ोन में बाघ आरक्षित क्षेत्र विकसित करने के लिए उत्सुक थी, चूंकि इन क्षेत्रों में बाघ विचरण के रिकार्ड मिले थे और यहाँ क्षमता से अधिक बाघों के आवास की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा सकता था। दर्राह, जवाहर सागर और चम्बल वन्यजीव अभ्यारण्यों के क्षेत्रों को वर्ष 2013 में मुकुंद्र बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह क्षेत्र बाघों का आवास क्षेत्र नहीं है लेकिन इसे वे गलियारे (कॉरीडोर) के रूप में उपयोग करते हैं। राजस्थान सरकार ने रणथमबोर बाघ आरक्षित क्षेत्र से बाघों के स्थानांतरण की योजना बनाई और वर्ष 2017 में इसके लिए कार्ययोजना बना ली, जिसके अंतर्गत मुकुंद्र के अंदर बाघों को रखने के लिए क्षेत्र की पहचान की गई। लेकिन फिर, बाद में इस योजना और पहचान किए गए क्षेत्र को बदल दिया गया। बदले हुए क्षेत्र में पर्याप्त शिकार उपलब्ध नहीं था और उसके आसपास कई गाँव बसे थे। प्रबंधन ने 82 वर्ग कि.मी. की घेराबंदी भी तैयार कर ली जिसके अंतर्गत टी.आर. का पूरा क्षेत्र था जिससे कि बाघ गांवों में न जा सकें और इस घेराबंदी में अन्य क्षेत्रों से शाकभक्षी जानवरों को भी लाया गया। अंततः, वर्ष 2018 से रणथमबोर से चार वयस्क बाघों को इस क्षेत्र में लाया गया। उन्होंने बच्चों को जन्म भी दिया। लेकिन, 2020 तक, सभी बच्चों और एक को छोड़कर सभी बाघों की संदिग्ध स्थितियों में मृत्यु की रिपोर्ट आ चुकी थी।[25]एन.टी.सी.ए. ने उसके बाद से मुकुंद्र बाघ आरक्षित क्षेत्र में कोई भी बाघ हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति नहीं दी है। यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि विशेषज्ञों ने मुकुंद्र बाघ आरक्षित क्षेत्र को बाघ आवास क्षेत्र घोषित किए जाने के खिलाफ़ चेतावनी दी थी, और इसे एन.टी.सी.ए. की अनिवार्य मंज़ूरी के बिना ही स्थापित कर दिया गया था।[26]

राजस्थान सरकार के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, इस पृष्ठभूमि को याद रखना ज़रूरी है। राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा मना किए जाने के बावजूद, राजस्थान वन विभाग ने वर्ष 2019 के अंत में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के आशय को सार्वजनिक कर दिया, और इस विषय में

[23](झाला, कुरेशी, और नायक, 2020)

[24] https://ranthambhorenationalpark.in/blog/number-of-tigers-crossed-100-rajasthan-problem-abundance

[25] https://www.newindianexpress.com/nation/2020/aug/20/alarm-bells-ring-as-kota-reserve-loses-4-big-cats-2185849.html

[26]https://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2307735/Tigers-endangered-Rajasthan-government-green-lights-reserve-ignoring-wildlife-regulations.html; https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/ntca-puts-a-temporary-ban-on-mukundra-tiger-shifting/articleshow/63523497.cms

सक्रीयता से एन.टी.सी.ए. को प्रस्ताव भी भेज रही है।[27]के.डब्लू.एल.एस. के अधिकारी इसके टी.आर. बनाए जाने को 'संरक्षण' के लिए भारी आमदनी प्राप्त करने के ज़रिए के रूप में देख रहे हैं।[28]

एन.टी.सी.ए. ने 31 जनवरी, 2020 की बैठक में पहली बार इस प्रस्ताव पर चर्चा की। एन.टी.सी.ए. और श्री.हर्षवर्धन सिंह, डूंगरपुर राजस्थान से राज्य सभा सदस्य, ने प्रस्ताव रखा कि कुंभलगढ़ को बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।[29]एन.टी.सी.ए. ने इस पर 28 दिसंबर, 2020 की 18वीं बैठक में विचार किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा।[30]

सितंबर, 2021 में, एन.टी.सी.ए. ने एक कमिटी का गठन किया जिसे इस क्षेत्र में बाघों के पुनर्वास की व्यवहार्यता के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र के आसपास की स्थिति, परिदृश्यात्मक जुड़ाव, सीमाओं, और आसपास बसी मानवीय बस्तियों को परखना था।[31]समाचारों के अनुसार, कमिटी ने 2053 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र के लिए उपयुक्त पाया है जो कि उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही ज़िलों में आता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कमिटी ने प्रस्तावित क्षेत्र से टॉडगढ़ राओली वन्यजीव अभ्यारण्य को बाहर रखा है,लेकिन के.डब्लू.एल.एस. के क्षेत्र के अलावा, चारों ज़िलों के प्रादेशिक वनों और चारागाह श्रेणी के क्षेत्रों से 1150 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल किया गया है, जिसे वन्यजीव विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। कमिटी ने इस क्षेत्र में से 20 गांवों के पुनर्स्थापन का भी प्रस्ताव दिया है।[32]

प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र की अंतिम घोषणा की प्रक्रिया, और जल्दबाज़ी में क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के प्रयास एक ही समय में चल रहे थे और आज भी यह स्पष्टता नहीं है कि राज्य सरकार की इस क्षेत्र की उद्घोषणा के लिए क्या योजना है; क्या पहले राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की जाएगी, या फिर इस योजना को बाघ आरक्षित क्षेत्र के पक्ष में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। मुकुंद्र पहाड़ी बाघ आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण को देखते हुए, यह ज़रूरी है कि राज्य सरकार और एन.टी.सी.ए. ऐसे प्रस्ताव को समर्थन देने के कारण स्पष्ट करे जिसे राज्य वन्यजीव बोर्ड (एस.बी.डब्लू.एल.)ने वर्ष 2016 में स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उस समय एस.बी.डब्लू.एल. द्वारा उठाए गए सभी सवाल अभी भी कायम हैं, और मुकुंद्र बाघ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना तथा बाघों के हस्तांतरण की विफलता का स्पष्ट उदाहरण भी हमारे सामने है।

[27] https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/kumbhalgarh-tiger-reserve-proposal-gathers-steam/articleshow/71748087.cms

[28]फील्ड कार्य के दौरान वन अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत।

[29] https://ntca.gov.in/assets/uploads/Meeting/Minutes/Minutes_17th_meeting.pdf

[30] https://ntca.gov.in/assets/uploads/Meeting/Minutes/18th_NTCA_meeting_minutes.pdf

[31] https://timesofindia.indiatimes.com/city/udaipur/panel-formed-to-explore-viability-of-tiger-reserve-in-kumbhalgarh/articleshow/84692114.cms

[32] https://www.hindustantimes.com/cities/jaipur-news/rajasthan-may-get-another-tiger-reserve-in-the-kumbhalgarh-area-of-udaipur-division-101633948867581.html

वन्यजीव, लोग और न्यायालय

वर्ष 1971 में के.डब्लू.एल.एस. की प्राथमिक अधिसूचना में आरक्षित वन और गैर-वन क्षेत्र भी शामिल थे। वन्यजीव अभ्यारण्य की 2003-2013 की प्रबंधन योजना में कई अधिकारों की सूची दी गई थी जैसे कि कुछ क्षेत्रों में कृषि, क्षेत्र के अंदर पानी के स्त्रोत जैसे कि कुओं की मौजूदगी, चारागाह (आने जाने के रास्ते और निर्धारित क्षेत्र) और पेड़ों की छटान के अधिकार, सड़कों का उपयोग, पूजा स्थल, उपकरणों और मकानों के लिए लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, गैर-काष्ठीय वनोपज आदि, जिनकी बन्दोबस्ती कुछ गांवों और लोगों के लिए कर दी गई थी। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 बनने के बाद भी वन प्रबंधन ने इन उपयोगों की अनुमति जारी रखी थी।

1980 के दशक से के.डब्लू.एल.एस. में लोगों के अधिकारों में कटौती शुरू हुई।[33] इस समय कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियाँ बनाई जा रही थीं जिनमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के संरक्षण के लिएमानवीय संपर्क से रहित क्षेत्रों के होने को ज़ोर देना शुरू कर दिया था। मानवीय विकास गतिविधियों के वैश्विक जैवविविधता पर होने वाले प्रभावों पर ध्यान दिया जाने लगा था।इससे स्थानीय समुदायों की निर्वाह और वास्तविक आजीविका गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाने लगी। के.डब्लू.एल.एस. में, इन आदेशों का असर चरवाहा समुदाय राइकाओं और आदिवासियों पर पड़ा, दोनों ही अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। के.डब्लू.एल.एस. में समय-समय पर वन विभाग के हस्तक्षेपों (जैसे कि पौधारोपण क्षेत्र बनाए जाना) के कारण चरवाहों और वन निवासियों को कई सालों से वन क्षेत्रों से बाहर किया जा रहा है। भारत में, संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) जैसी योजनाएं आईं(और उसके बाद संरक्षित क्षेत्रों में ईको-विकास योजना) जहाँ एक ओर प्राकृतिक जगहों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों के महत्व को मान्यता दी गई, वहीं दूसरी ओर उनकी वन संसाधनों पर 'निर्भरता' को कम करने का भी प्रयास हुआ।[34]के.डब्लू.एल.एस.में, एक गाँव की ईको-विकास कमिटी द्वारा दिए गए ज्ञापन के कारण वर्ष 1999 में पूरी तरह से चराई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राइका समुदाय ने राजस्थान उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी और न्यायालय ने वर्ष 2003 में उनके चराई के अधिकार को बहाल कर दिया।[35] न्यायालय ने ईको-विकास कमिटियों से यह भी कहा कि वे के.डब्लू.एल.एस. के अंदर भी चरवाहों को उनके परंपरागत चराई के अधिकार का लाभ मिलना चाहिए।

राजस्थान राज्य सरकार ने समय समय पर ऐसे प्रतिबंधों के बीच चराई के पर्मिट देना जारी रखा। लेकिन वर्ष 2004 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में 1995 की दो महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं के कारण, डब्लू.एल.एस. के अंदर चराई पूरी तरह से गैर-कानूनी हो गई है।[36] इन याचिकाओं और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ आदेशों ने स्थानीय लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संरक्षित क्षेत्रों, जिसमें के.डब्लू.एल.एस. भी शामिल है, में सह-प्रबंधन और सह-अस्तित्व रणनीतियों की क्षमता को उभरने में बाधा पैदा की है।[37]

---

[33](कोहलेर, रोलेफ़सोन, 2014) में लेखक ने विस्तृत तरीके से बताया है कि किस प्रकार 1980 के दशक की शुरुआत में के.डब्लू.एल.एस. के विभिन्न हिस्सों में चराई पर प्रतिबंध लगाया गया जहाँ के.डब्लू.एल.एस. के अंदर चरते पाए गए मवेशियों और ऊंटों को जब्त कर लिया जाता था।

[34]वन विभाग के कोई भी नए नियम गाँव के स्तर तक जाते हैं। इस मामले में, चरवाहों और गाँव वालों के बीच बने सदियों पुराने रिश्तों पर जे.एफ.एम. कमिटी ने सवाल खड़े कर दिए। राजपुरा गाँव (मडीगढ़ पंचायत, देसूरी तहसील, पाली जिला) में एक कृषक परिवार के साथ इंटरव्यू में, उन्होंने याद करते हुए बताया कि एक राइका परिवार जो उनके खेतों में आकर रहता था और आसपास के जंगलों में अपने ऊंट चराता था, 1990 के बाद से गाँव के जे.एफ.एम. कमिटी सदस्यों ने उनके गाँव में आने पर प्रतिबंध लगा दिया।

[35](दत्ता, 2007)

[36]कोहलेर-रोलेफ़सन, 2015)

[37]इन जनहित याचिकाओं पर विस्तृत अध्ययन करने, उनके अंतर्गत दिए गए आदेशों और इन आदेशों के भारत में संरक्षित क्षेत्रों पर हुए प्रभावों के बारे में जानकारी के लिए पढ़ें (खन्ना, 2008)।

1. **1995 की जनहित याचिका (सी) संख्या 337 (सेंटर फॉर इन्वाइरन्मेनल लॉ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.)-भारत बनाम भारत सरकार**

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को (ज़िला अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में) डब्ल्यू.एल.पी.ए. की धारा 19-25 के तहत वैधानिक कार्यों के निर्वहन की मांग की थी, कि वे राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की सीमा के अंदर आने वाली भूमि पर अधिकारों की मौजूदगी, प्रकार, और विस्तार की जांच करें। याचिकाकर्ताओं का मानना था कि राज्य प्रशासन संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम घोषणा जारी करने को नज़रंदाज़ कर रहे हैं (जिसको जारी करने से पहले स्थानीय लोगों के अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करनी ज़रूरी है)। इसके कारण, पी.ए. क्षेत्रों के अंदर मानव जनसंख्या बढ़ गई और परिणामस्वरूप और अधिक भूमि को रहने, कृषि और चराई के लिए हस्तांतरित किया गया। इसके साथ ही, राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करती रहीं जैसे कि विशाल ढांचागत परियोजनाएँ जैसे सड़क निर्माण, जिनके कारण आवास क्षेत्रों का विखंडन और विनाश हुआ। वर्ष 1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उन सभी पी.ए. क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना दो माह के अंदर जारी की जाए, और अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाए तथा भूमि या अधिकारों का अधिग्रहण आदेश की एक वर्ष की अवधि के अंदर किया जाए। इस आदेश के साथ, 1998 में राज्यों ने जल्दबाज़ी में कई अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की अंतिम अधिसूचनाएँ जारी कर दीं, और इन क्षेत्रों में अधिकारों के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया; या फिर अधिकारों की बन्दोबस्ती की प्रक्रिया से बचने के लिए, संरक्षित क्षेत्रों के अंदर के राजस्व गांवों के क्षेत्रों को अधिसूचना से हटा दिया। इसी तरह से के.डब्लू.एल.एस. की सीमाओं का भी पुनर्निर्धारण किया गया। लेकिन, पूरे पी.ए. की अंतिम अधिसूचना को सार्वजनिक समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।[38] वर्ष 2003 में, 1-1-2003 की एक अधिसूचना के माध्यम से डब्ल्यू.एल.पी.ए. में धारा 25ए जोड़ी गई। इसमें प्रावधान था कि ज़िलाधिकारी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के आशय की अधिसूचना प्रकाशित होने के दो वर्ष के अंदर अधिकारों के निर्धारण, जांच और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आशय की अधिसूचना रद्द नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 18ए के अनुसार (जिसे 20-1-2003 की एक अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया), जब राज्य सरकार आशय की अधिसूचना जारी करती है, तो धारा 27 से 33ए के प्रावधान (क्षेत्र को वन्यजीव विभाग के अंदर ले लिए जाता है और इस पर प्रमुख वन्यजीव पालक का नियंत्रण होता है) तुरंत लागू हो जाते हैं। अतः यह जानते हुए कि स्थानीय लोगों को इन अधिसूचनाओं की जानकारी नहीं दी जाती, और दस्तावेज़ों की गैर-मौजूदगी में इन क्षेत्रों की सीमाएँ लोगों को स्पष्ट नहीं होतीं, इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र की तरह नियंत्रित और प्रबंधित किया जाने लगता है और इन में स्थानीय लोगों के आने-जाने और अधिकारों पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, के.डब्लू.एल.एस. की वास्तविक सीमाएँ और अधिकारों का प्रकार और विस्तार अभी भी धुंधले हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन गई है कि गाँव अभ्यारण्य के जिन क्षेत्रों को कई पीढ़ियों से उपयोग करते आए थे, वे अब वन अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए हैं और लोगों को इसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी गई है।

भूमि हड़पना या संरक्षण? कोयला की स्थिति

कोयला गाँव सेवन्तरी ग्राम पंचायत, कुंभलगढ़ तहसील, राजसमंद ज़िला का एक हिस्सा है। यहाँ 150-200 परिवार रहते हैं, और गाँव का कहना है कि यह गाँव लगभग 500 साल पहले बसा था और उस समय उदयपुर के महाराज के रूपनगर ठिकाने का हिस्सा था। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, जिसमें चरवाहे और आदिवासी भी शामिल हैं। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि-पशुचारणता तथा मज़दूरी है।

[38]पर्यावरणीय जानकारी प्रणाली (एनवीस) की वेबसाईट (http://wiienvis.nic.in/) जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान होस्ट करता है और इसे एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. द्वारा प्रायोजित किया गया है, भारत के संरक्षित क्षेत्रों का एक सार्वजनिक डेटाबेस है। यहाँ पर भारत के अंदर बने सभी संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना उपलब्ध होनी चाहिए।

जब वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई, तब लगभग 50-80 हेक्टेयर खातेदारी[39] (निजी कृषि भूमि) भूमि को डब्लू.एल.एस. के लिए अधिग्रहित किया गया। गाँव वालों का कहना है कि उन्हें इस ज़मीन के लिए कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया, और यह ज़मीन अभी भी राजस्व विभाग के अधिकारों के रिकार्ड में नज़र आती है। कुछ वर्षों के बाद, गाँव की गौचर भूमि पर भी वन विभाग ने पौधारोपण के लिए बाड़बंदी कर दी। गाँव वालों ने वर्ष 2017 में प्रशासन के साथ यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया, जब उन्होंने राज्य सरकार के *आपकी सरकार आपके द्वार* कार्यक्रम[40] में भागीदारी की। लेकिन, उनके मामले पर सुनवाई नहीं हुई।[41]

अधिकारों को मान्यता बनाम बन्दोबस्ती

डब्ल्यू.एल.पी.ए. में संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने के लिए अधिकारों के अधिग्रहण की प्रक्रिया दी गई है। लेकिन, पहले से मौजूद संरक्षित क्षेत्रों के विस्तारीकरण के दौरान यह प्रक्रिया अक्सर नहीं चलाई जाती, जैसा कि ऊपर वर्णित याचिका के याचिकाकर्ताओं ने रेखांकित किया। ऐसे मामलों में जहाँ पहले से मौजूद वन भूमि को किसी संरक्षित क्षेत्र (पी.ए.) के अंदर लाया जाता है, वहाँ भी भारतीय (वन) अधिनियम, 1927 के अनुसार कानून के आधार पर बन्दोबस्ती की प्रक्रिया नहीं की जाती। कुछ गिने-चुने मामलों में जहाँ यह प्रक्रिया चलाई गई है, वहाँ कई रोज़मर्रा की गतिविधियों, जैसे कि चराई, मछली पकड़ना, सूक्ष्म वनोपज इकट्ठी करना, आने-जाने के रास्तों का उपयोग या आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं को जोड़ती हुई गतिविधियों, जैसे कि झूम खेती, स्थानीय लोगों और निर्भर समुदायों की लकड़ी की ज़रूरतों के लिए पेड़-कटान, और साथ ही उनके वन भूमि पर निवासी होने की स्थिति पर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। वन क्षेत्रों में ज़मीन अधिग्रहण करने की यह नीति आज़ादी के बाद भी जारी रही, जहाँ राज्य ने एक ओर राजस्व कमाने के लिए सामंती निजी वनों, रियासतों और जमींदारी क्षेत्रों आदि का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और दूसरी ओर डब्ल्यू.एल.पी.ए. के अंतर्गत जैविविधता संरक्षण के लिए 'संरक्षित क्षेत्र' बना दिए। इसने स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण से जुड़ी प्रथाओं के भारत के समृद्ध इतिहास को अवैध बना दिया। अतः, जैसे-जैसे और अधिक ज़मीन वन क्षेत्र के अंदर समेकित होती रही, वैसे-वैसे इन समुदायों के पारंपरिक अधिकार और प्रथाएँ खत्म हो गईं या उनमें बदलाव आ गए। इसलिए, 'अधिकारों की बन्दोबस्ती' शब्दों का अर्थ यह समझ जाता है कि वन भूमि राज्य की संपत्ति है, जहाँ उसे स्थानीय लोगों द्वारा वनों के उपयोग को निर्धारित करने और नियंत्रित करने (और इसके परिणामस्वरूप उनके कल्याण, संस्कृति और आजीविका पर भी) का एकाधिकार प्राप्त है।

एफ.आर.ए. कानून बनाने के पीछे उद्देश्य था कि अंततः वन भूमि पर चले आ रहे पारंपरिक अधिकारों को दर्ज करने के लिए एक ढांचा स्थापित किया जाए और उन्हें उनके सही दावेदारों को सौंप दिया जाए (जिसमें पहले से घोषित और नए बने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघ आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं)। एफ.आर.ए. में दी गई प्रक्रिया में स्वीकारा गया है कि पैतृक भूमि पर अधिकारों को औपनिवेशी काल तथा स्वतंत्र भारत, दोनों ने ही राजकीय वनों के समीकरण की प्रक्रिया में ठीक से मान्यता नहीं दी। इससे भी महत्वपूर्ण, इसमें यह स्वीकारा गया है कि वनों के अस्तित्व और स्थिरता के लिए वनों में रहने वाले

[39]खातेदार ज़मीन के स्वामी को कहते हैं। खातेदारी ज़मीन का रिकार्ड राजस्व रिकार्ड में उसके स्वामी के नाम से दर्ज रहता है।

[40]आमतौर पर राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के अभियान चलाती हैं जिससे कि उनके निवास स्थान पर ही उन्हें नागरिक सेवाएँ प्राप्त हो सकें, जहाँ विभिन्न सरकारी विभाग अलग-अलग योजनाओं की जानकारी देते हैं और गाँव वाले अपनी शिकायतें बताते हैं और उनके उसी समय समाधान निकालने के प्रयास किए जाते हैं। https://sampark.rajasthan.gov.in/SiteGallery.aspx?enc=S2V5PTYmQWxidW1OYW1lPVNhcmthciUyMEFwa2UlMjBEd2FyLSUyMFVkYWlwdXIlMjBEaXZpc2lvbg==

[41]टीम के साथ 25 जुलाई 2019 को हुई एक बैठक में, पाली के ज़िलाधिकारी ने स्वीकार किया कि ऐसे मामले हुए हैं। उनका मत था कि संघर्ष की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछले समय में गौचर ज़मीन का स्वामित्व वन विभाग से राजस्व विभाग के हाथों में चल गया। लेकिन, वे दृढ़ थे कि के.डब्ल्यू.एल.एस. के मामले में, वन विभाग केवल अभ्यारण्य के क्षेत्र को प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान में शामिल करेगा। अतः, ऐसे परस्पर विरोधी अधिकारों और दावों के निर्धारण, विस्तार और जांच की प्रक्रिया जन सुनवाई में शामिल नहीं की जा सकी।

और उन पर निर्भर लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें वन संसाधनों के प्रबंधन, प्रशासन, और निर्णय-प्रक्रिया में सबसे आगे रखा गया है। इसमें बाहर से नियुक्त बन्दोबस्ती अधिकारी के बजाए, ग्राम/तोक (जहाँ छोटे/ रिकार्ड में शामिल नहीं/ बिना बंदोबस्ती किए पाड़े या टोले हैं) स्तरीय ग्राम सभा स्थानीय वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया करते हैं। इसके बाद, इसमें स्थानीय और ज़िला स्तरीय कमिटियों को अधिकारों की मान्यता, बन्दोबस्ती और रिकार्ड करने की प्रक्रिया पूरी करने की इजाज़त दी गई है। अतः, प्रभावी स्तर पर, एफ.आर.ए. में दी गई अधिकारों की मान्यता की पूरी प्रक्रिया भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में दी गई अधिकारों की बन्दोबस्ती की प्रक्रिया के बदले लागू की जानी चाहिए।

गाँव वालों का मानना है कि वन विभाग धीरे-धीरे ज़्यादा-से-ज़्यादा गाँव के स्वामित्व की ज़मीनों पर बाड़बंदी कर रहा है। चूंकि उन्हें अभ्यारण्य में चराई कराने, सड़कों के उपयोग या सूक्ष्म वनोपज एकत्रित करने से कानूनी रूप से रोका जाता है, तो उन्हें अपने मवेशियों को घर पर ही बांध कर चारा देना पड़ता है। इसके साथ-साथ, वे यह भी देख रहे हैं कि सूखा पड़ने की संभावनाएँ हर साल बढ़ती जा रहीहैं, जिसके कारण कृषि उपज पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उनका यह भी मानना है कि जब से अभ्यारण्य की उद्घोषणा हुई है और उनकी ज़मीनें वन्यजीव विभाग के अंतर्गत चली गई हैं, तब से गाँव में तेंदुए और जंगली सूअर आने, मवेशी उठा के ले जाने और खेतों को बर्बाद करने की घटनाएँ बढ़ गई हैं।

2. 1995 की याचिका (नागरिक) संख्या 202 (टी. एन. गोदावर्मन थिरुमलपद बनाम भारत सरकार व अन्य)

वर्ष 2000 मेंसर्वोच्च न्यायालय के*ऐमिकस क्युरी* ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से व्यावसायिक लाभ उठाने के खिलाफ़ एक अंतरिम आवेदन दर्ज किया था। फरवरी 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वाराकिसी भी राष्ट्रीय उद्यान, खेल अभ्यारण्य या वन से मरे हुए, बीमार, मरने वाले या हवा से गिरे हुए पेड़ों, बहाव में आई हुई लकड़ी और घास आदि निकालने पर रोक लगा दी। इस आदेश को सब लगभग भूल ही चुके थे, जब दो वर्ष बाद, सर्वोच्च न्यायालय की केन्द्रीय सशक्त कमिटी (जिसे वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में सहयोग करने के लिए गठित किया था[42]) ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा कि इसकी अनुपालना हो रही है। इस पत्र में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में 'प्रतिबंधित' गतिविधियों की सूचि दी गई थी (जिसमें से कई गतिविधियां न्यायालय के आदेश में शामिल नहीं थीं), जैसे कि पेड़/ बांस कटान, नहरें खोदना, खनन, भूमिगत खनन, रेत/ पत्थर इकट्ठे करना, बिजली की तारें डालना/ ऑप्टिकल फ़ाइबर तारें डालना/ पाइप डालना, घास कटान, सूक्ष्म वनोपज इकट्ठा करना, चराई, निर्माण और सड़कें चौड़ी करना। पत्र में लिखा था कि न्यायालय के आदेश के बावजूद, उद्यान प्रबंधन इन गतिविधियों को होने दे रहा था। पत्र में इसकी अनुपालना करने का अनुरोध किया गया। सी.ई.सी. के इस पत्र का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में हर प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें 'बन्दोबस्ती' किए हुए अधिकार और रियायतें भी शामिल हैं।

> सी.ई.सी. के इस पत्र के बाद, के.डब्लू.एल.एस. के अधिकारियों ने अभ्यारण्य में चराई पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले, वन विभाग चरवाहों को चराई के लिए पर्मिट (एक निर्धारित फीस पर) दिया करता था।

[42] https://www.forests.tn.gov.in › document › legislations

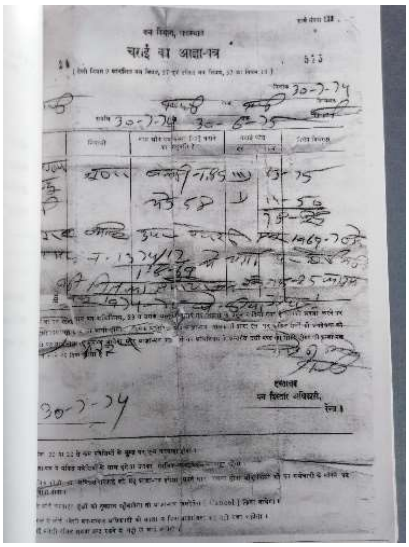
चराई का आज्ञा-पत्र

के.डब्लू.एल.एस. में वन विभाग द्वारा दिया गया चराई का पर्मिट

इस प्रतिबंध के बाद, पाली ज़िले के राइका समुदाय के कुछ सदस्यों ने राइका संघर्ष समिति का गठन किया और सी.ई.सी. को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि के.डब्लू.एल.एस.में कौन-सी गतिविधियों की 'अनुमति' है और कौन-सी गतिविधियों पर 'प्रतिबंध' है। सी.ई.सी. ने नवंबर 2004 में सर्वोच्च न्यायालय में अपना जवाब जमा किया और न्यायालय से अनुरोध किया कि वह संरक्षित क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों को स्पष्ट करे। वर्ष 2006 में, राइका समुदाय ने सर्वोच्च न्यायालय में गोदावरमान मामले के अंतर्गत एक अंतरिम याचिका दर्ज की, और स्पष्टीकरण मांगा कि क्या के.डब्लू.एल.एस. के अंदर राइकाओं के पारंपरिक चराई के अधिकार की अनुमति दी जाएगी। इसके संदर्भ में, राइका ने मार्च 2003 में जारी राजस्थान उच्च न्यायालय का एक आदेश जमा किया जो कि के.डब्लू.एल.एस. के जंगलों में ईको-विकास समिति द्वारा ऊंटों की चराई पर प्रतिबंध के संदर्भ में था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंतरिम याचिका पर अप्रैल 2004 में सुनवाई की, और आदेश दिया कि सी.ई.सी. और राज्य सरकार अपने जवाब जमा करें। अगस्त 2004 में, सी.ई.सी. ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने राइकाओं की ज़मीन और मवेशियों की संख्या के विषय पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार पूरे गाँव के मवेशी और जुगाली करने वाले जानवर केवल राइका समुदाय के पशु होने का दावा किया गया, जो कि साफ गलत था। रिपोर्ट में मुख्य वन्यजीव पालक द्वारा तर्क दिया गया कि क्षेत्र में नियंत्रित चराई हो और के.डब्लू.एल.एस. की भार क्षमता का अध्ययन किया जाए। सितंबर 2006 में, सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राजस्थान) ने के.डब्लू.एल.एस. की भार क्षमता निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में संस्तुति दी गई कि अरावली की उत्कृष्ट जैवविविधता के आखिरी क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से, के.डब्लू.एल.एस. में चराई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले और रिपोर्ट पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिया और राइका पशुपालकों ने अंततः अपनी याचिका वापस ले ली। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके फरवरी 2000 के आदेश के प्रभावों और वन्यजीव विभाग की स्थानीय इकाइयों ने किस प्रकार उसे समझा इस पर स्पष्टीकरण देना अभी भी बाकी है। वर्ष 2011 में, केरल के आदिवासियों नेडब्लू.एल.एस. से गैर-काष्ठीय उत्पाद निकालने के संदर्भ में इस आदेश में संशोधन की मांग की । जुलाई 2011 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें उसने इन आवेदकों को आम तथा विशिष्ट राहत दी और निर्देश दिए कि आदिवासी आवेदकों को राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सेवाएँ दी जाएँ, अगर वे चाहें तो। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को निपटा दिया, और '...आवेदकों को स्वतंत्रता दी कि वे एफ.आर.ए. के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के पास जा सकते हैं और यह अधिसूचित अधिकारी पर है कि वह उनके आवेदन पर गौर करे और कानून के अनुरूप सही निर्णय ले।' स्थानीय वन विभागों द्वारा इस आदेश की सराहना नहीं की जा रही है।

अधिकार सुरक्षित करते हुए संरक्षण सुनिश्चित करना

वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत 'सामुदायिक वन संसाधन' (सी.एफ.आर.) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - 'गाँव की पारंपरिक सीमाओं के अंतर्गत परंपरागत वन भूमि जिस पर किसी समुदाय की पारंपरिक पहुँच रही हो या जिसे चरवाहा समुदाय 'मौसमी' तौर पर उपयोग करता आया हो'। यह संसाधन आरक्षित वन भी हो सकता है, संरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्र भी। अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासी समुदाय के व्यक्ति सी.एफ.आर. पर अधिकारों का दावा कर सकते हैं या अन्य अधिकारों का भी, जैसे कि वन भूमि पर रहने या उसे व्यक्तिगत अथवा संचायती स्तर पर रहने या आजीविका के लिए खुद कृषि करने, स्वामित्व, गैर-काष्ठीय वनोपज एकत्रीकरण और बिक्री, चरवाहों द्वारा चराई और मौसमी स्तर पर संसाधनों तक पहुँच के लिए रखने के लिए। अधिनियम वन निवासियों को ऐसे वनों और जैवविविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सशक्त करता है जिन पर उनके पारंपरिक अधिकार हैं और वे अपने वन संसाधनों के तुल्य और सतत संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए योजनाएँ बना सकते हैं और इन योजनाओं को वन विभाग की प्रबंधन योजनाओं में एकीकृत किया जाना ज़रूरी है। चूंकि एफ.आर.ए. वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है, तो किसी भी अन्य कानून में कुछ भी और निहित होने के बावजूद, संरक्षित क्षेत्रों में वन निवासी समुदायों के साथ अधिकारों के निर्धारण और निहित करने की प्रक्रिया चलाना एफ.आर.ए. के अंतर्गत अनिवार्य है।

चराई पर रोक

के.डब्लू.एल.एस. में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित पत्र ने विशेष रूप से स्थानीय राइका समुदाय को प्रभावित किया है जिन्हें चराई पर प्रतिबंधों और वन चौकीदारों द्वारा उन पर लगाए जाने वाले मनमाने जुर्मानों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राइका चरवाहा समुदाय के सदस्यों ने पुष्टि की है कि कई वर्षों से चराई के लिए वन भूमि पर उनकी पहुँच और साथ-ही अभ्यारण्य प्राधिकारियों द्वारा गाँव की संचायती ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के आरोपों को लेकर कई झगड़े हुए हैं। गाँव वालों ने रिपोर्ट दी है कि धीरे-धीरे, अभ्यारण्य के अंदर पौधशालाएँ या वनीकरण प्लॉट बनाने के लिए बहुत से क्षेत्रों पर घेराबंदी या बाड़बंदी कर दी गई है। इन झगड़ों के पीछे कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अपर्याप्त समझ और उनके गलतदिशा-निर्देश लागू करना है। के.डब्लू.एल.एस. संचालन की इसके बाद की सभी वार्षिक योजनाओं में कहा गया है कि '... सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए... गाँव वालों को अभ्यारण्य क्षेत्र में उनके मौजूदा अधिकारों का पालन करने की अनुमति नहीं है।' जैसा कि एक वरिष्ठ वन विभाग अफसर जो के.डब्लू.एल.एस. की देखरेख करते थे, ने बताया, हालाँकि वर्ष 2004 से चराई पर प्रतिबंध है, वन विभाग 'चरवाहों के साथ मिलकर' अभ्यारण्य के अंदर चराई के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करता आया है जहाँ उन्हें इन क्षेत्रों में आने के लिए वार्षिक दंड भरना पड़ता है, जबकि पहले, उनके पास चराई के कानूनी पर्मिट होते थे। उन्होंने बताया कि हर रेंज में इसकी राशि 'पूर्व-निर्धारित' होती है। लेकिन के.डब्लू.एल.एस. के एक रेंज वन अधिकारी ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत कोई 'निर्धारित दंड' का प्रावधान नहीं है, और दंड की राशि इस पर निर्भर करती है कि वन को कितना नुकसान हुआ है और इसका आँकलन उस वन अधिकारी या चौकीदार द्वारा किया जाता है जो प्रतिबंधित गतिविधियां करते हुए लोगों को पकड़ता है।

राजस्व विभाग की समझ

संरक्षित क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता और उन्हें निहित करने पर वन प्रशासन का आधिकारिक नज़रिया रहा है कि वन संपत्ति के समेकन के समय अधिकारों की बन्दोबस्ती की जा चुकी है और वर्ष 2000 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह अधिकार जारी नहीं रह सकते। यही तर्क ज़िला प्रशासन भी मानता है। पाली के ज़िलाधिकारी द्वारा आयोजित जन सुनवाई पर 19 मार्च, 2015 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान में अधिकारों के प्रकार और विस्तार निर्धारण की जांच की गई।[43]यह सुनवाइयाँ 10 और 14 सितंबर, 2014 को की गईं। रिपोर्ट में दर्ज किए गए दावों और दावेदारों द्वारा मुआवज़े की मांग का विवरण दिया गया है। इसमें 65 दावों का विवरण दिया गया है, जिसमें से कुछ चराई के अधिकार के हैं, कुछ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और अन्य गैर-काष्ठीय वनोपज इकट्ठा करने के (ग्राम सभाओं और अन्य समूहों द्वारा[44])। इनमें से प्रत्येक मामले में ज़िला अधिकारी ने कायम रखा कि दावा वन भूमि पर किया गया है, जिसे 13 जुलाई, 1971 को डब्लू.एल.एस. घोषित किया जा चुका है और इसके लिए अधिकारों की बन्दोबस्ती की प्रक्रिया 21 अगस्त, 1998 तक पूरी की जा चुकी है। इसके आगे, ज़िला अधिकारी कहते हैं कि चूंकि दावे 'गैर'- वन गतिविधियों' के लिए किए गए हैं, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुरूप प्रतिबंध है, यह मौजूदा अधिकार समाप्त हो गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन गतिविधियों की अनुमति देने का अधिकार ज़िलाधिकारी के पास नहीं बल्कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं 27, 33 और 35 के अंतर्गत मुख्य वनपाल के पास है।[45]

यह काफ़ी रुचिपूर्ण है कि जहाँ ज़िला अधिकारी ऐसे वास्तविक आजीविका के दावों को तो 'गैर-वन' गतिविधि बता रहे हैं और उनके लिए अनुमति नहीं देना चाहते, लेकिन प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 2 मंदिर परिसर - मुछल महावीर जैन मंदिर परिसर और रणकपुर मंदिर परिसर को पूरे परिसर के लिए कब्ज़ा जारी रखने, प्रबंधन और रखरखाव की अनुमति दे दी गई है।

[43]रिपोर्ट की प्रति लेखक के पास उपलब्ध है।

[44]एक दावा दलित महिलाओं द्वारा किया गया है जो खुद को 'गोदवार की दलित महिलायें" कहती हैं। यह सादड़ी कस्बे के आसपास रहने वाली भूमिहीन महिलाएँ हैं जो कि जलाऊ लकड़ी के लिए सूखी गिरी हुई टहनियाँ और गैर-काष्ठीय वनोपज इकट्ठा करने के लिए वन भूमि का उपयोग करती आई हैं।

[45]यह तर्क डब्ल्यू.एल.पी.ए. की सीमित व्याख्या पर आधारित है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंदर अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया, धराएं 19 से लेकर 26 ए तक लागू होती हैं, जहाँ राज्य सरकार एक 'कलेक्टर' (के.डब्लू.एल.एस. के मामले में ज़िला अधिकारी) नियुक्त करती है जिसे अधिकारों की मौजूदगी, प्रकृति और विस्तार की जांच करके उन्हें निर्धारित करना होता है, और वह मुख्य वनपाल के *साथ चर्चा करके* दावे की अनुमति देने या खारिज करने का आदेश पास कर सकता है।

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में वनाधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

जैसे कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, संरक्षित क्षेत्रों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न उद्घोषणाओं और ज़मीनी स्तर पर पालन की गई प्रक्रियाओं की भूल-भुलैया में, अधिकारों की पुष्टि के लिए चलाई जाने वाली स्थानीय प्रक्रियाओं पर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है; एफ.आर.ए. के बावजूद, जो कि ऐसा कानून है जिसे पूरे भारत में अधिकारों के निर्धारण, मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया को दिशा देने के लिए बनाया गया था।

बाली (राजस्थान के पाली जिले का एक शहर) में चराई और वनों तक पहुंच के मुद्दों पर आयोजित परामर्श सभा

राजस्थान में, शुरुआती कार्यान्वयन का ज़ोर पाली ज़िले के आदिवासी गाँवों में था, लेकिन जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया वह गैर-कानूनी थी। शुरुआत के समय में, जब अधिनियम बना ही था, कार्यान्वयन के पहले चरण में, आदिवासी कल्याण विभाग (अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी) ने 'पात्र' दावेदारों की राज्य-वार सूचि बनाई और केवल उन्हीं दावेदारों को अधिनियम के अंतर्गत दावे दर्ज करने की अनुमति थी और वह भी एक नीयत अवधि के अंदर। राजस्थान के विभिन्न नागरिक समाज समूहों और समुदायों के सदस्यों ने इसके खिलाफ़ एक विशाल धरना आयोजित किया, जिसके बाद ही पूरे राज्य में सभी

दावेदारों के लिए दावे के फॉर्म खोले गए।[46]इस सफलता के बाद भी, सभी सरकारी एजेंसियों में एक साझा समझ कायम रही कि एफ.आर.ए. केवल आदिवासी समुदाय के लिए है और अन्य समुदायों का इससे कोई लेना-देना नहीं है, और मुख्यतः उनका ज़ोर व्यक्तिगत दावों (आई.एफ.आर.) पर ही था।[47]वन एवं राजस्व, दोनों विभागोंकी यह धारणा थी कि इस अधिनियम को वन भूमि पर हुए "अवैध अतिक्रमण को नियमित" करने के लिए बनाया गया था।[48]

के.डब्लू.एल.एस. में, एफ.आर.ए. के क्रियान्वयन की शुरुआत वन अधिकार कमिटियों (एफ.आर.सी., जिन्हें ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है) के गठन से की गई, और इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को वास्तविक रूप से शामिल नहीं किया गया। कल्पवृक्ष के साथ हुई बातचीत में, स्थानीय लोगों को एफ.आर.ए. या एफ.आर.सी. के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि दावे दर्ज करने की प्रक्रिया वन अधिकारियों और ज़िला प्रशासन के निचले स्तर के कर्मचारियों, जैसे कि ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक द्वारा स्वप्रेरणा से संचालित हो रही थी, जिसमें स्थानीय लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी।[49]जिन गांवों में सामाजिक संस्थाएँ काम कर रही थीं, सामुदायिक संगठन पर ज़ोर दिए जाने के कारण सुनिश्चित हुआ कि दावे गाँव वाले खुद भरें। लेकिन इसके साथ-साथ, अभ्यारण्य के अंदर और उसके आपसास के क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकार दावों पर नगण्य स्तर पर काम हुआ।[50] इन गांवों में अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अंतर्गत विविध समूह शामिल हैं, जिन्हें कहा गया कि उन्हें घर या निर्भरता के सबूत के बजाए वन भूमि पर 75 वर्ष के 'कब्ज़े' का सबूत देना होगा।[51]

अधिनियम के प्रति यह उदासीनता और समझ की कमी अभी भी इसके क्रियान्वयन में शामिल राजस्व अधिकारियों में देखने को मिलती है। अध्ययन के दौरान, टीम ने पाली के अंतर्गत आने वाली, बाली और देसूरी तहसीलों के उप-खंड अधिकारियों से बात की। बाली के उप-खंड अधिकारी ने बताया कि एफ.आर.ए. के क्रियान्वयन और पट्टों में आने वाली सबसे बड़ी समस्या है कि स्थानीय समुदाय सामुदायिक वन भूमि के दावों के साथ सबूत नहीं दे पा रहे हैं।[52] देसूरी के एस.डी.ओ. से जब एफ.आर.ए.के अंतर्गत दावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नहीं है और एफ.आर.ए. के सभी दावों पर वन विभाग ही निर्णय लेता है। उन्होंने इंटरव्यू के बीच में ही सादड़ी के सहायक मुख्य वनपाल से भी एफ.आर.ए. के विषय पर चर्चा की और वही मत दोहराया कि सामुदायिक दावे केवल वही गाँव वाले दर्ज कर सकते हैं जिन्हें आई.एफ.आर. के दावे मिल चुके हैं, चूंकि एफ.आर.ए. केवल उन लोगों के ऊपर लागू होता है जो वन भूमि पर 'निवासी' हैं।

2021 में, राजस्थान सरकार ने एफ.आर.ए. के अंतर्गत दावे दर्ज करने का एक और अभियान चलाया है। इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन बना दिया गया है और दावे केवल पंचायत के कार्यालय से ही दर्ज करवाए जा सकते हैं। अस्वीकृत किए गए दावों के पुनर-आँकलन या गलत पट्टों में सुधार करने के विषय पर कोई स्पष्टता नहीं है।

अतः प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका है और क्या नियम लागू होते हैं इसकी सही समझ न होना, और साथ-साथ विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अलग-अलग आदेशों और नियमों की गुत्थी ने के.डब्ल्यू.एल.एस. में एफ.आर.ए. क्रियान्वयन की प्रक्रिया को भ्रमित कर दिया है। इस स्पष्टता की अनुपस्थिति में, वन विभाग इस क्षेत्र को दावेदारों से मुक्त घोषित करने के लिए तत्पर है और चाहता है कि बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

---

[46](वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार पर एक रिपोर्ट; स्थिति और मुद्दे, 2012)। धरने का नाम था *जंगल जल, ज़मीन आंदोलन*।

[47](पाठक ब्रूम और वानी, 2011)

[48]अधिनियम के 10 वर्ष से ज़्यादा गुज़र जाने के बाद भी यह दृष्टिकोण मौजूद है। के.डब्ल्यू.एल.एस. के पूर्व प्रभारी अधिकारी के साथ एक इंटरव्यू में, अधिकारी का कहना था कि अभ्यारण्य के अंदर कोई अधिकार रिकार्ड करना बाकी नहीं रहा है, क्योंकि उनकी बन्दोबस्ती पहले ही हो चुकी है, अभ्यारण्य के अंदर अब कोई गाँव नहीं हैं और राष्ट्रीय उद्यान की उद्घोषणा के बाद सभी 'अतिक्रमण' हटा दिए जाएंगे जबकि खातेदारी स्वामियों को मुआवज़ा दिया जाएगा।

[49]उक्त

[50]अभ्यारण्य के अंदर अब तक केवल 2 गांवों ने सामुदायिक वन अधिकार के दावे दर्ज किए हैं। एक गाँव के दावे को खारिज कर दिया गया (वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार पर एक रिपोर्ट; स्थिति और मुद्दे, 2012) और दूसरे के दावे को पाली के ज़िला कलेक्टर को भेज दिया गया क्योंकि उसे एस.डी.ओ. ने स्वीकार नहीं किया। इस दावे का अब कुछ अता-पता नहीं है और गाँव को दोबारा दावा दर्ज करने के लिए कहा गया है।

[51](वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकारों पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट; स्थिति और मुद्दे, 2012)

[52]उप-मंडल स्तर की समिति (जिसके एस.डी.ओ अध्यक्ष है) को एफ.आर.ए नियमों के नियम 6 (बी) में ग्राम सभाओं को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची प्रदान करने का काम सौंपा गया है। इसलिए, दस्तावेजीकरण में लोगों का सहयोग करना एस.डी.एल. सी का कर्तव्य है

बहुत कम और अवैध: के.डब्ल्यू.एल.एस. में आदिवासी महिलाओं की मुश्किलें

पौनीबाई[53] घानेराओ पंचायत (देसूरी तहसील, पाली ज़िला) की गरासिया बस्ती में रहने वाली एक बूढ़ी विधवा महिला हैं। यह गाँव के.डब्ल्यू.एल.एस. के अंदर बसा है। इस क्षेत्र के कई अन्य गरासिया गांवों की ही तरह, वे अपने विवाहित गाँव के इतिहास को याद करती हैं। एक घुमंतू योद्धा आदिवासी समूह होने के नाते, गरासिया समुदाय की स्थानीय राजाओं के समय में बहुत मांग रहती थी कि वे उनके रावलों की सीमाओं पर रहें और उनकी रियासतों की दूसरी रियासतों से सुरक्षा करें। घानेराओ ठिकाने ने माउंट आबू के जंगलों के अपने कुछ पूर्वजों को कुंभलगढ़ के वनों में लाकर बसाया। उनका मौखिक इतिहास बताता है कि उन्हें दी गई ज़मीन के विस्तार का विवरण स्थानीय राज्य ने ताम्ब्र पत्र[54] में लिखा है क्योंकि उनके पास स्थायी मकान नहीं होते थे, और उन्होंने यह दस्तावेज़ सुरक्षित रखने के लिए राजा को दिए थे। समय के साथ-साथ दूसरे रावलों के उनके रिश्तेदारों ने भी गरासिया बस्ती को ही अपना घर बना लिया।

पौनीबाई के ससुर गाँव के आसपास लघभग 4 हेक्टेयर भूमि जोतते थे। उनके चार बेटे थे। पौनीबाई याद करती हैं कि डब्ल्यू.एल.पी.ए. के अंतर्गत अभ्यारण्य घोषित होने के बाद सेखेती करने, गैर-काष्ठीय वनोपज इकट्ठा करने, उनकी बकरियों की चराई और आने-जाने के रास्तों के उपयोग पर धीरे-धीरे प्रतिबंध लगाए गए। जहाँ पहले खेती केवल अपने निर्वाह के लिए की जाती थी, गैर-काष्ठीय वनोपज इकट्ठा करने और चराई पर प्रतिबंध तथा आर्थिक व्यवस्था में बदलावों के कारण उन्हें अब फसलों की कमाई पर ही निर्भर करना पड़ता है। लेकिन ज़मीन पर उनका कोई वास्तविक स्वामित्व न होने के कारण, उन पर हमेशा बेदखली का खतरा छाया रहता था। 2004-2005 के आसपास, अभ्यारण्य के अधिकारियों ने उन्हें बेदखल किए जाने की चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। उसी समय, एक स्थानीय संस्था[55] के कुछ लोगों ने क्षेत्र के लोगों के बीच संगठन बनाना शुरू किया जिससे कि वे पीढ़ियों से जिन वनों में रहते आए हैं और उनके कब्ज़े हैं, उनपर अपने अधिकारों को मान्यता दिए जाने की मांग कर सकें। पौनीबाई याद करते हुए बताती हैं कि वे जल जंगल ज़मीन आंदोलन से जुड़ीं, जिन्होंने सभी के लिए एफ.आर.ए. के अंतर्गत दावे दर्ज करने के फॉर्म खुलवाए। अंततः उनके पति ने दावा दर्ज किया। जब उन्हें पट्टा मिला, तो वह एक बड़ी निराशा के रूप में आया। पट्टा केवल उनके पति के नाम में जारी किया गया था और उसमें केवल एक बेटे को आश्रित माना गया था (उनके छ: बच्चे हैं)। पट्टे में उनका नाम नहीं था।[56]जिस ज़मीन के लिए उन्हें पट्टा मिला था उसके खसरा नंबर भी उसमें नहीं लिखे थे और यह केवल 0.8 हेक्टेयर ज़मीन के लिए मिला था। उनके पति और बेटे की मृत्यु हो चुकी है, और पौनीबाई को डर है कि उनका देवर उस ज़मीन को हड़प लेगा, जिस पर असल में उनका अधिकार है। इस बीच, वन विभाग के अधिकारी उनको प्रताड़ित करते रहते हैं और उनके ससुर की ज़मीन पर उनके दावे या कानूनी अधिकार को मानने से इंकार करते हैं। उनकी स्थिति वैसे ही अनिश्चित बनी हुई है, जैसे कि पहले थी, जहाँ उनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है और उन्हें बेदखल किए जाने का डर बना रहता है, या तो उनके अपने परिवार द्वारा या वन विभाग द्वारा। (*देखें: टू लिटल एण्ड इलीगल: द प्लाइट ऑफ आदिवासी विमेन इन के.डब्ल्यू.एल.एस.*)[57]

---

[53]गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिया गया है।

[54]ये स्थानीय शासकों द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के विवरण के साथ खुदी हुई तांबे की प्लेटें थीं।

[55] http://www.astha.ngo/

[56]एफ.आर.ए की धारा 4(4) के तहत, विवाहित जोड़ों के मामले में दोनों पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त पट्टा और एक ही व्यक्ति के नेतृत्व वाले परिवारों के मामले में मुखिया के नाम पर पट्टा जारी किया जाना है।

[57]पाली के जिला कलेक्टर ने टीम के साथ बैठक में टीम को बताया कि सभी दावों को फिर से और केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करना होगा। उन्हें एफ.आर.ए के तहत पहले से जारी पट्टों के सुधार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं थी

जबरन बेदखली

कुंभलगढ़ के अंदर खरनी तोकरी गांव

खरनी टोकरी घानेराओ पंचायत की भील बस्ती है। यहाँ लगभग 20 परिवार रहते हैं और उनके पूर्वजों का इतिहास राजशाही के समय तक का है। यह बस्ती के.डब्ल्यू.एल.एस. अभ्यारण्य के काफी अंदर बसी है, और इनके लिए घानेराओ पंचायत तक पहुँचने के लिए अभ्यारण्य से गुजरने वाले कच्चे रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गाँव में बिजली नहीं है, पानी के लिए पाइपलाइन भी नहीं है, और न ही कोई स्कूल या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है। गाँव वाले जंगली सूअरों और दूसरे शाकभक्षी जानवरों के साथ हमेशा मुठभेड़ की स्थिति में रहते हैं, जो अक्सर उनके खेतों में घुस आते हैं और खड़ी फसलों का नुकसान कर देते हैं। कुछ परिवारों को उनके व्यक्तिगत खेतों और वासभूमि के लिए पट्टे मिले हैं, लेकिन उनमें कई गलतियाँ हैं, जैसे कि पौनीबाई के पट्टे में। गाँव वालों का कहना है कि वो लोग दरिद्रता की कगार पर हैं, कोई कानूनी स्वामित्व नहीं है, कोई सुविधा नहीं,पट्टों की कोई सुरक्षा नहीं और हमेशा जंगली जानवरों के डर में जीते हैं। वर्ष 2019 में, गाँव वालों ने रिपोर्ट दी थी कि वन विभाग के अधिकारी उनके गाँव में आए और उन्हें दूसरे क्षेत्रों से बाघों को यहाँ लाए जाने की योजना के बारे में बताया। अधिकारियों ने उन्हें याद दिलाया कि वे लोग वन भूमि पर अतिक्रमणकर्ता हैं और एक बार इस क्षेत्र में बाघ आरक्षित क्षेत्र बन जाएगा तो उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा। बल्कि, अगर उन्हें विस्थापित किया जाएगा, तो वन विभाग उन्हें सब सुविधाएँ देने के लिए तैयार है। इस बैठक के बाद, चार परिवार जिन पर विस्थापन का दबाव डाला जा रहा था, घानेराओ के गुड़ा भोप सिंह में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने चले गए। वन विभाग द्वारा लगातार उत्पीड़न और कोई सुरक्षा न होना जहाँ एक ओर यहाँ के स्थानीय लोगों के मन में दबाव बनाए हुआ है, वहीं दूसरी ओर विस्थापन के कारण उनके भविष्य के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। जो गाँव वाले वहीं रह रहे हैं, उन्होंने देखा कि जो परिवार चले गए उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिल, वन विभाग ने गाँव के पुनर्स्थापन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, और इसके अलावा, उन्होंने खरनी टोकरी में कोई सुविधा भी नहीं आने दी है।

आम तौर पर, एफ.आर.ए. को लागू करने के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचा जो कि पहले से मौजूद आदिवासी बस्तियों को उचित स्वामित्व के पट्टे दिला सके और के.डब्ल्यू.एल.एस. परिदृश्य में आसपास के गांवों की वन भूमि पर सामुदायिक अधिकार दिला

सके, अभी भी खराब ही है और उनका अभी भी वन भूमि के प्रबंधन और स्वामित्व को लेकर वही पुराना औपनिवेशी नज़रिया है। ऐसी स्थिति में, संरक्षित क्षेत्रों का बनाया जाना और उनका विस्तार होने के कारण स्थानीय लोगों की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, जो कि पहले से ही उनकी आजीविकाओं का सहयोग करने वाले संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। इन अधिकारों को रिकार्ड करने से इंकार करना दर्शाता है कि वन विभाग और राजस्व विभाग लोगों के अधिकारों को चुपचाप दरकिनार करते हुए डब्ल्यू.एल.एस. पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं।

वन विभाग का रवैया

संरक्षित क्षेत्र पूरी तरह से वन विभाग के वन्यजीव प्रकोष्ठ के नियंत्रण में हैं, इस हद तक कि जिन प्रक्रियाओं में ज़िला प्रशासन को शामिल होना चाहिए, वहाँ वे भी संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर हैं। और जैसे कि हम ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, के.डब्ल्यू.एल.एस.की स्थिति भी इस से अलग नहीं है।

***KWLS* की परिधि के साथ निर्मित कंक्रीटीकृत चारदीवारी**

जिस समय एन.टी.सी.ए. कमिटी के.डब्ल्यू.एल.एस. में सर्वेक्षण करने आई, उसी समय वन विभाग ने पंचायत समिति के अध्यक्षों और स्थानीय रिज़ॉर्ट मालिकों को सर्वेक्षण का फॉर्म भरने को दिया जिसमें उनसे प्रस्तावित बाघ आरक्षित क्षेत्र पर 'फीडबैक' देने के लिए कहा गया (परिशिष्ट 6)। हमारी टीम के फील्ड भ्रमण के दौरान, हमें पता चला कि पंचायत समिति के सदस्य खुद ही यह फॉर्म भर रहे थे और स्थानीय लोगों को इन फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्थानीय अखबारों में कई लेख छपे कि के.डब्ल्यू.एल.एस. के आसपास के रिज़ॉर्ट और होटल मालिक बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जाने के विचार से बहुत खुश हैं क्योंकि उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन, इनमें से किसी भी लेख में स्थानीय लोगों की कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी।

हाल ही में पूरा किया गया शाकाहारी संवर्धन बाड़ा और बचाव केंद्र मोडिया (रणकपुर-सादड़ी रोड) के पास

वन विभाग के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी डब्ल्यू.एल.एस. को टी.आर. बनाने के लिए तत्पर हैं। अधिकारियों के साथ इंटरव्यू में यह स्पष्ट निकल कर आया कि बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने के पीछे एकमात्र विचार यह है कि इससे क्षेत्र के संरक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी, राजस्व की कमाई होगी और क्षेत्र एक संभावित पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा। वर्तमान में, अभ्यारण्य के लिए राज्य और केंद्र सरकार की वन्यजीव आवास विकास योजना के अंतर्गत रु.65 लाख मिलते हैं।[58]2021-22 में प्राप्त धनराशि का अधिकांश हिस्सा अभ्यारण्य के चारों ओर और ऊंची सिमेन्ट और तार की दीवार तथा शाकभक्षीपशुओं के प्रजनन के लिए 'शाकभक्षी' संवर्धन केंद्र विकसित करने में खर्च किया गया।[59]इन गतिविधियों के कारण चरवाहों और आदिवासियों के आने-जाने में और प्रतिबंध लग गए हैं। यह सब मुकुंद्र बाघ आरक्षित क्षेत्र के विकास से पहले उठाए गए कदमों की याद दिलाता है। वन अधिकारी स्पष्ट हैं कि बाघ आरक्षित क्षेत्र बनने का रास्ता साफ करने के लिए डब्ल्यू.एल.एस. के अंदर के 'अतिक्रमण' हटाने ज़रूरी हैं। यह दर्शाता है कि के.डब्ल्यू.एल.एस. के आसपास के क्षेत्र में एफ.आर.ए. के कार्यान्वयन की स्थिति बहुत खराब है।

[58] (वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास (केंद्र प्रायोजित योजना) 2021-22, 2021 के तहत कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संचालन की वार्षिक योजना)
[59] (वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास (केंद्र प्रायोजित योजना) 2021-22, 2021 के तहत कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संचालन की वार्षिक योजना)

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, के.डब्ल्यू.एल.एस. में स्थानीय समुदायों के अधिकारों की स्थिति काफ़ी अस्पष्ट है और अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। संसाधनों तक समुदायों की पहुँच पर लगाए गए प्रतिबंध, लोगों के अनुसार उनके नियंत्रण की ज़मीन का अनसुलझा अधिग्रहण, गाँव वालों को बेदखल करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दबाव और खेतों, मवेशियों और घरों पर जंगली जानवरों के हमलों ने डब्ल्यू.एल.एस. के आसपास के क्षेत्र में बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है।

ऐसे में, क्षेत्र पर नियंत्रण की कड़ी श्रेणियाँ लागू करते हुए संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं की विस्तार योजनाओं का निरंतर दबाव और मांसभक्षी पशु को यहाँ लाने से गंभीर संघर्ष की स्थिति पैदा होना तय है। जिन क्षेत्रों में बाघ स्थानांतरण की योजना बनाई गई है उन मामलों से पहले ही स्थापित किया जा चुका है कि स्थानीय स्तर पर अधिकारों और पट्टों से संबंधित अनिश्चितता और वन्यजीवों के साथ मुठभेड़ एक ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा कर देती है जो कभी भी एक गंभीर संघर्ष का रूप ले सकती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे माहौल में बाघों के कल्याण से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है।

अतः अत्यंत ज़रूरी है कि वन विभाग क्षेत्र में अपने विस्तारीकरण की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दे। और साथ ही, एफ.आर.ए. के अंतर्गत डब्ल्यू.एल.एस. के अंदर व बाहर रहने वाले समुदायों द्वारा वनों के संचायती उपयोग तथा व्यक्तिगत दावे दर्ज करने की दिशा में प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं; पहले वितरित किए गए पट्टों की जांच की जानी चाहिए। साथ-साथ, राजस्व और वन विभागों के बीच ज़मीन के स्वामित्व की अस्पष्टता की स्थिति पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए जिससे कि स्थानीय ग्रामीण अपनी मांगों को तुरंत रख सकें। अंततः, एक प्रबंधन योजना जो कि डब्ल्यू.एल.एस. के वनों की भार क्षमता स्थापित करे, और स्थानीय समुदायों की सक्रीय स्वामित्व व भागीदारी, बनाई जाए। इससे सुनिश्चित होगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य का एक प्रभावकारी और स्थानीय लोगों के साथ मिल कर प्रबंधन प्रारूप विकसित हो सके जिसे पूरे भारत के संरक्षित क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1: कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की उद्घोषणा

राजस्थान सरकार
राजस्व (क) विभाग

संख्या एफ 10(2)(रेव/ए/xxx) जयपुर, दिनांक 13 जुलाई 1971

:-: अधिसूचना :-

दी राजस्थान वाईल्ड वाईल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1951 राजस्थान एक्ट नं० 13 आफ 1951 (की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार कुम्भलगढ़ के किले और रणकपुर मन्दिर के पास पास की अरावली पहाड़ियों को जिनकी सीमायें इससे संलग्न अनुसूची में दी गई है उक्त एक्ट के प्रयोजनार्थ "आरक्षित क्षेत्र" के रूप में एतद्‌द्वारा घोषित करती है। और उक्त क्षेत्र में सर्व वर्ष में किसी भी समय किसी भी प्रकार के वन्य पशुओं या अन्य पक्षियों का शिकार करना, गोली से मारना जाल में फंसाना फन्दे में डालना या फंसाना, पकड़ना या मारना विधि विरुद्ध होगा।

अनुसूची

सीमायें :-

उत्तर - दिवेयर कोट रोड़
पूर्व - भीम और कुम्भलगढ़ वन क्षेत्रों में आरक्षित वनों की पूर्वी सीमा रेखायें।
दक्षिण - कुम्भलगढ़ और सादड़ी वन क्षेत्रों क्रमशः पदरा और बीजापुर वन खण्डों की दक्षिणी सीमा रेखायें।
पश्चिम - सादड़ी और देसूरी क्षेत्रों के आरक्षित वनों की पश्चिमी सीमा रेखायें।

राज्यपाल के आदेश से
ह०
(के०एल०बराया)
शासन सचिव,

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ 24(68/मिस/सी.सी.एफ./3494 दिनांक 11 जनवरी 1971 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2- अधीक्षक राज्य मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
3- संचालक, जन सम्पर्क राजस्थान, जयपुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०
सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट 2: कुंभलगढ़ डब्ल्यू.एल.एस. में वन भूमि की स्थिति[60]

क्रम सं.	रेंज का नाम	ब्लॉक का नाम	कानूनी स्थिति	क्षेत्र हेक्टेयर में
1.	कुंभलगढ़	कोटड़ा	आरक्षित	1305.85
2.		धाना	आरक्षित	2217.19
3.		अरेठ	आरक्षित	323.31
4.		पालर	आरक्षित	2505.79
5.		झीलवाड़ा	आरक्षित	2010.25
6.		घटरा	आरक्षित	1580.67
7.		रूपनगर	आरक्षित	900.18
8.		ढोलिया	संरक्षित	451.43
9.		सेवंतरी	आरक्षित	513.06
10.		उमरवास	आरक्षित	513.06
11.		बस्सी	आरक्षित	870.38
12.		दीवेर	आरक्षित	254.20
13.		पिपरालु मान	संरक्षित	98.50
14.		कुंभलगढ़ किला	संरक्षित	195.81
15.	सादड़ी	बीजापुर	आरक्षित	8010.35
16.		सेवारी	आरक्षित	6049.61
17.		लताड़ा	आरक्षित	3565.79
18.		सादड़ी	आरक्षित	3800.27
19.		मांडीगढ़	आरक्षित	2102.19
20.	देसूरी	घानेराओ	आरक्षित	2102.19
21.		घानेराओ (गुड़ा भोपसिंह जागीर)	आरक्षित	1880.40
22.		देसूरी	आरक्षित	3928.90
23.		बगोल	आरक्षित	1296.50
24.		कोट	आरक्षित	998.56
25.	बोखड़ा	भानपुरा	आरक्षित	491.92
26.		मालगढ़	आरक्षित	2296.93
27.		मग्गा का मल	आरक्षित	1084.96
28.		माजावाड़ा	आरक्षित	1432.29
29.		बोखड़ा	आरक्षित	1948.32
30.		ममादेओ की बुज	आरक्षित	459.51
31.		उमरना	आरक्षित	897.42
32.		सेमुद	आरक्षित	496.67
33.		बिस्मा	आरक्षित	1624.84
34.		पडराडा	आरक्षित	346.43
35.		कडेच	संरक्षित	289.08
				61052.80

60

परिशिष्ट 3: स्थानीय अखबारों में प्रकाशित आशय (राष्ट्रीय उद्यान) की उद्घोषणा

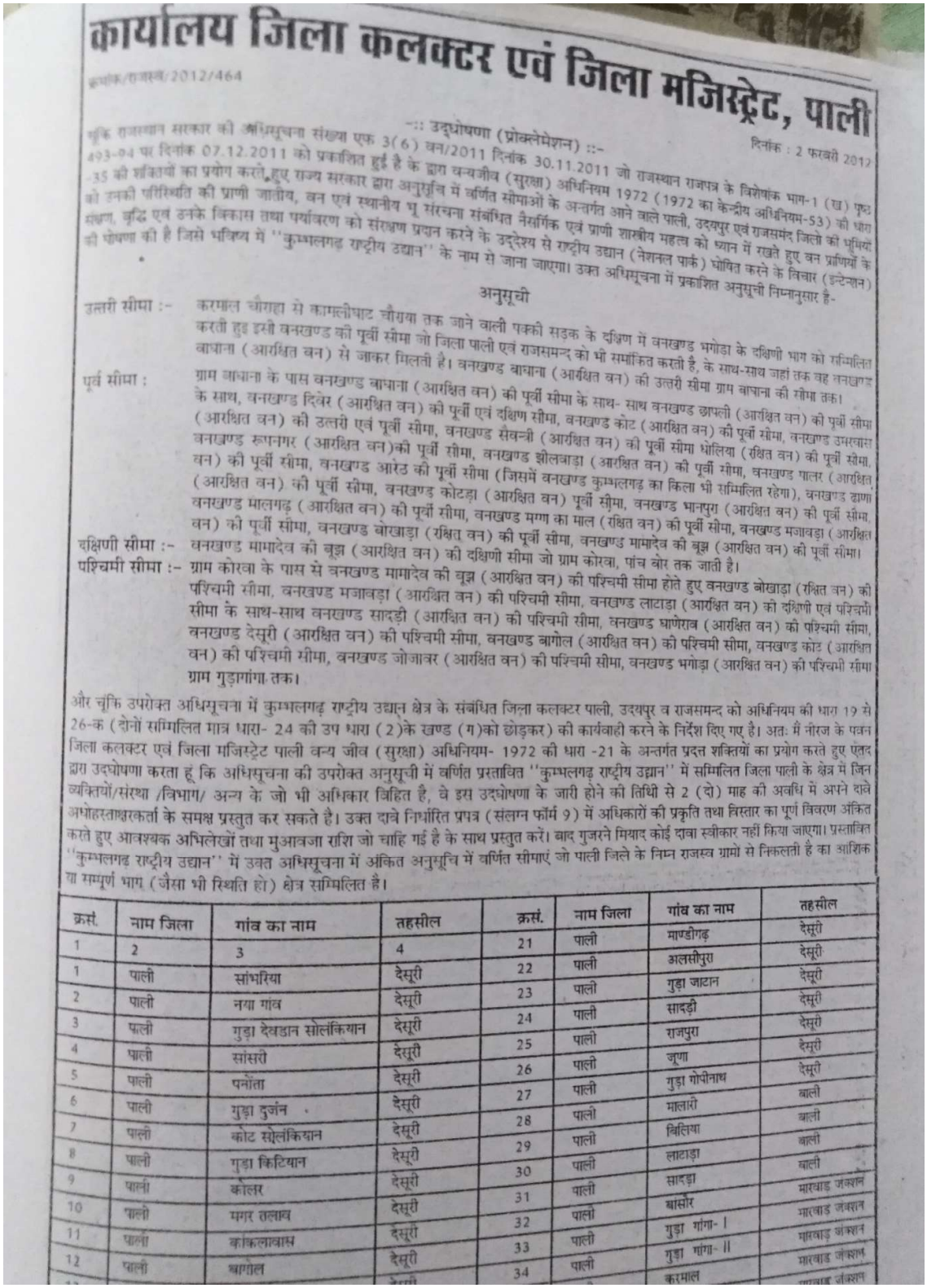

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमांक/राजस्व/2012/464

दिनांक : 2 फरवरी 2012

-:: उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) ::-

चूंकि राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(6) वन/2011 दिनांक 30.11.2011 जो राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग-1 (ख) पृष्ठ 493-94 पर दिनांक 07.12.2011 को प्रकाशित हुई है के द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम-53) की धारा -35 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले पाली, उदयपुर एवं राजसमंद जिलो की भूमियों को उनकी परिस्थिति की प्राणी जातीय, वन एवं स्थानीय भू संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वन प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं उनके विकास तथा पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) घोषित करने के विचार (इन्टेन्शन) की घोषणा की है जिसे भविष्य में ''कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान'' के नाम से जाना जाएगा। उक्त अधिसूचना में प्रकाशित अनुसूची निम्नानुसार है-

अनुसूची

उत्तरी सीमा :- करमाल चौराहा से कामलीघाट चौराहा तक जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण में वनखण्ड भगोड़ा के दक्षिणी भाग को सम्मिलित करती हुई इसी वनखण्ड की पूर्वी सीमा जो जिला पाली एवं राजसमन्द को भी सम्पर्कित करती है, के साथ-साथ जहां तक वह वनखण्ड बाघाना (आरक्षित वन) से जाकर मिलती है। वनखण्ड बाघाना (आरक्षित वन) की उत्तरी सीमा ग्राम बाघाना की सीमा तक।

पूर्व सीमा : ग्राम बाघाना के पास वनखण्ड बाघाना (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा के साथ- साथ वनखण्ड छापली (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा के साथ, वनखण्ड दिवेर (आरक्षित वन) की पूर्वी एवं दक्षिण सीमा, वनखण्ड कोट (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड उमरवास (आरक्षित वन) की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, वनखण्ड सैवन्ती (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा धोलिया (रक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड रूपनगर (आरक्षित वन)की पूर्वी सीमा, वनखण्ड झीलवाड़ा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड पालर (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड आरेठ की पूर्वी सीमा (जिसमें वनखण्ड कुम्भलगढ़ का किला भी सम्मिलित रहेगा), वनखण्ड ढाणा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड कोटड़ा (आरक्षित वन) पूर्वी सीमा, वनखण्ड भानपुरा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड मालगढ़ (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड मण्ण का माल (रक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड मजावड़ा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड बोखाड़ा (रक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड मामादेव की बूझ (आरक्षित वन) की दक्षिणी सीमा जो ग्राम कोरवा, पांच बोर तक जाती है।

दक्षिणी सीमा :- वनखण्ड मामादेव की बूझ (आरक्षित वन) की दक्षिणी सीमा जो ग्राम कोरवा, पांच बोर तक जाती है।

पश्चिमी सीमा :- ग्राम कोरवा के पास से वनखण्ड मामादेव की बूझ (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा होते हुए वनखण्ड बोखाड़ा (रक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड मजावड़ा (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड लाटाड़ा (आरक्षित वन) की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा के साथ-साथ वनखण्ड सादड़ी (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड घाणेराव (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड देसूरी (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड बागोल (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड कोट (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड जोजावर (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड भगोड़ा (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा ग्राम गुड़ागांगा तक।

और चूंकि उपरोक्त अधिसूचना में कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के संबंधित जिला कलक्टर पाली, उदयपुर व राजसमन्द को अधिनियम की धारा 19 से 26-क (दोनों सम्मिलित मात्र धारा- 24 की उप धारा (2)के खण्ड (ग)को छोड़कर) की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। अतः मैं नीरज के पवन जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम- 1972 की धारा -21 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि अधिसूचना की उपरोक्त अनुसूची में वर्णित प्रस्तावित ''कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान'' में सम्मिलित जिला पाली के क्षेत्र में जिन व्यक्तियों/संस्था /विभाग/ अन्य के जो भी अधिकार विहित है, वे इस उद्घोषणा के जारी होने की तिथि से 2 (दो) माह की अवधि में अपने दावे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त दावे निर्धारित प्रपत्र (संलग्न फॉर्म 9) में अधिकारों की प्रकृति तथा विस्तार का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवश्यक अभिलेखों तथा मुआवजा राशि जो चाहि गई है के साथ प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित ''कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान'' में उक्त अधिसूचना में अंकित अनुसूचि में वर्णित सीमाएं जो पाली जिले के निम्न राजस्व ग्रामो से निकलती है का आंशिक या सम्पूर्ण भाग (जैसा भी स्थिति हो) क्षेत्र सम्मिलित है।

क्रमं.	नाम जिला	गांव का नाम	तहसील	क्रमं.	नाम जिला	गांव का नाम	तहसील
1	2	3	4	21	पाली	माण्डीगढ़	देसूरी
1	पाली	सांभरिया	देसूरी	22	पाली	अलसीपुरा	देसूरी
2	पाली	नया गांव	देसूरी	23	पाली	गुड़ा जाटान	देसूरी
3	पाली	गुड़ा देवडान सोलंकियान	देसूरी	24	पाली	सादड़ी	देसूरी
4	पाली	सांसरी	देसूरी	25	पाली	राजपुरा	देसूरी
5	पाली	पनोता	देसूरी	26	पाली	जूणा	देसूरी
6	पाली	गुड़ा दुर्जन	देसूरी	27	पाली	गुड़ा गोपीनाथ	बाली
7	पाली	कोट सोलंकियान	देसूरी	28	पाली	मालारी	बाली
8	पाली	गुड़ा किटियान	देसूरी	29	पाली	बिलिया	बाली
9	पाली	कोलर	देसूरी	30	पाली	लाटाड़ा	बाली
10	पाली	मगर तलाब	देसूरी	31	पाली	सादड़ा	मारवाड़ जंक्शन
11	पाली	काकिलावास	देसूरी	32	पाली	बासोर	मारवाड़ जंक्शन
12	पाली	बागोल	देसूरी	33	पाली	गुड़ा गांगा- I	मारवाड़ जंक्शन
				34	पाली	गुड़ा गांगा- II	मारवाड़ जंक्शन
						करमाल	मारवाड़ जंक्शन

परिशिष्ट 4

कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत गठित किया जाने वाला के.डब्ल्यू.एल.एस. और टी.आर.डब्ल्यू.एल.एस.का प्रस्तावित क्षेत्र			
ज़िला	**वन खंड**	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**जिस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर यह क्षेत्र आता है**
उदयपुर	मामा देव कि बुज	1948.3200	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	बोखरा	1432.2900	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	मजवाड़ा	1084.9600	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	मग्गा का मल	2296.9300	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	मालगढ़	491.9200	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	भानपुरा	998.5700	के.डब्ल्यू.एल.एस.
राजसमंद	कोटड़ा	1305.8500	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	धाना	2217.1900	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	आरेठ	323.3100	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	कुंभलगढ़ किला	196.00	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	पालर	2505.7900	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	झीलवाड़ा	2010.2500	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	रूपनगर	900.1800	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	ढोलिया	451.4300	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	सेवन्तरी	513.0600	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	उमरवास	1285.2400	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	दीवेर	1717.2030	टी.आर.डब्ल्यू.एल.एस.
	छापली	2164.4063	टी.आर.डब्ल्यू.एल.एस.
	बघाना	1392.9620	टी.आर.डब्ल्यू.एल.एस.
पाली	कोट	1296.5000	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	बागोल	3928.9000	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	देसूरी	1880.4000	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	घानेराओ -ए	2102.1900	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	घानेराओ - बी	289.0800	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	सादड़ी	7127.5900	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	लताड़ा	3565.7900	के.डब्ल्यू.एल.एस.
	जोजावर	3339.7900	टी.आर.डब्ल्यू.एल.एस.
	भगोड़ा	2357.745	टी.आर.डब्ल्यू.एल.एस.
कुल		**51123.8463**	
		511.238463 Sq. km	

परिशिष्ट 5: राज्य विधान सभा को डी. सी. ऐफ. का पत्र

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्य जीव, राजसमन्द

sadhana shikhar road, phone & fax no. 02952-220096 email dcf.wl.rajsamand@gami.com

–: संक्षिप्त नोट – प्रस्तावित कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान :–

अरावली पर्वत श्रंखला के मध्य स्थित कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य तथा टाडगड–रावली वन्य जीव अभयारण्य के पाली, राजसमन्द व उदयपुर जिले के भू भाग को उनकी पारिस्थितिकी, प्राणी जातीय, वन एवं स्थानीय एवं भू सरंचना संबंधित नेसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वन्य प्राणीयों के संरक्षण, वृद्धि एवं उनके विकास तथा उनके पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के धारा 35 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए **"कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान"** के इन्टेशन घोषणा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ3(6) वन/2011 दिनांक 30/11/2011 जो राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 1(ख) पृष्ठ 493–94 पर दिनांक 07/12/2011 को प्रकाशित हुई। (आदेश की प्रति संलग्न एने.–1)

अनुसूची में वर्णित सीमा विवरण के अनुसार निम्नानुसार जिलेवार वन क्षेत्र सीमा में आते हैं :–

1.	जिला पाली	–	258.78 वर्ग किमी.
2.	जिला राजसमन्द	–	167.28 वर्ग किमी.
3.	जिला उदयपुर	–	82.52 वर्ग किमी.
	योग	–	**508.60 वर्ग किमी.**

जिसमें अभयारण्य वार वन क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

1.	वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ	–	401.51 वर्ग किमी.
2.	वन्य जीव अभयारण्य रावली टाडगढ	–	107.09 वर्ग किमी.
	योग	–	**508.60 वर्ग किमी.**

यह क्षेत्र कामलीघाट–करमाल चौराहा सड़क से दिवेर की नाल, देसूरी की नाल, कुम्भलगढ़, घाणेराव, राणकपुर–बोखाड़ा सड़क, सादड़ी से लाटाड़ा के मध्य स्थित हैं।

जिला कलक्टर की शक्तियां :–

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के धारा 19 से 26 क (दोनों में सम्मिलित धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) का छोड़कर) के तहत् विधिवत प्रक्रिया अपनायी जाकर दावें/आपत्तियां आमंत्रित कर **"कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान"** की परिसीमा से किसी क्षेत्र को बाहर रखे जाने के संबंध में किये गये दावों को सम्पूणतः स्वीकार करने एवं निस्तारित आदेश प्रसारित करने की शक्तियां दी गयी हैं, जिसके अनुरूप जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 25/11/2013 को, जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दिनांक 18/09/2015 को तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 19/03/2015, 20/07/2015, 19/08/2016 व 11/06/2019 को अपने आदेश से प्राप्त दावों/आपत्तियों का निस्तारण किया गया हैं।

धार्मिक स्थलों संबंधित दावों के निस्तारण में जिला कलक्टर ने वर्णन किया हैं कि "दावेदारों द्वारा प्रस्तावित **कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान** की सीमा में आने वाले उक्त धार्मिक स्थलों पर आने जाने एवं अन्य गतिविधियों, यथा पूजा अर्चना, भजन संध्या आदि अनुमति जारी किया जाने का क्षेत्राधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता को नहीं होकर वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 27, 28, 33 तथा 35 (8) प्रावधानों के अन्तर्गत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर में निहित हैं। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ4 (ट) विविध/मुवजीप्र/2015/1224दिनांक 20/02/2015 के अनुसार प्रकरण में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के स्तर पर कार्यवाही आपेक्षित होने से उक्त अनुशंषा के साथ उक्त प्रकरण निस्तारित किया जाता हैं। (प्रति संलग्न एने.–2 व 3) राष्ट्रीय उद्यान की परिसीमा से किसी क्षेत्र को बाहर रखे जाने के संबंध में किये गये दावों को सम्पूर्णतः स्वीकार करने एवं निस्तारित आदेश प्रसारित करने के लिये जिला कलक्टर अधिकृत हैं।

परिशिष्ट 6: पंचायत समिति सदस्यों को दिए गए फीडबैक फॉर्म का अंश[61]

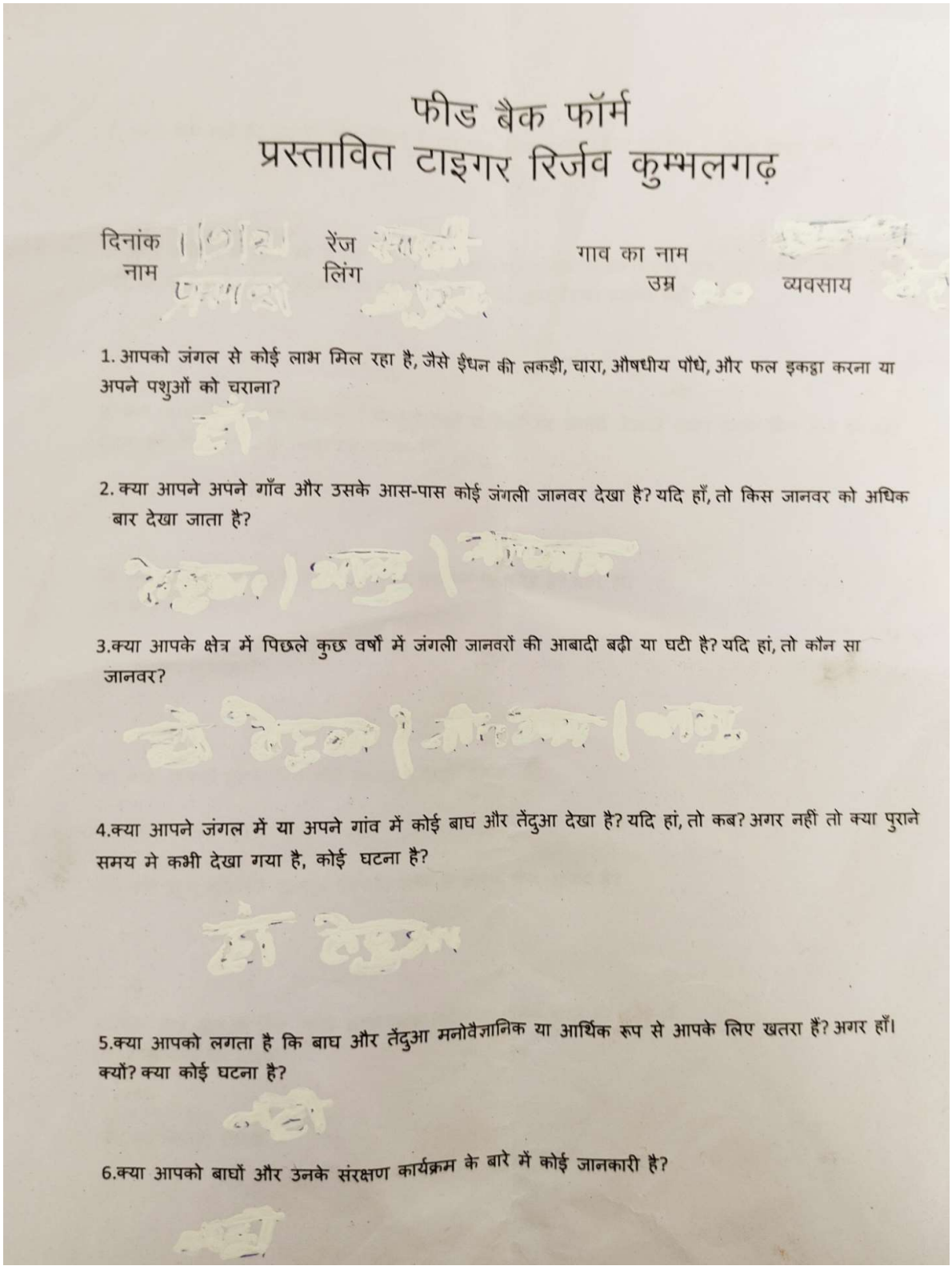

फीड बैक फॉर्म
प्रस्तावित टाइगर रिर्जव कुम्भलगढ़

दिनांक रेंज गाव का नाम
नाम लिंग उम्र व्यवसाय

1. आपको जंगल से कोई लाभ मिल रहा है, जैसे ईंधन की लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे, और फल इकट्ठा करना या अपने पशुओं को चराना?

2. क्या आपने अपने गाँव और उसके आस-पास कोई जंगली जानवर देखा है? यदि हाँ, तो किस जानवर को अधिक बार देखा जाता है?

3. क्या आपके क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जंगली जानवरों की आबादी बढ़ी या घटी है? यदि हां, तो कौन सा जानवर?

4. क्या आपने जंगल में या अपने गांव में कोई बाघ और तेंदुआ देखा है? यदि हां, तो कब? अगर नहीं तो क्या पुराने समय मे कभी देखा गया है, कोई घटना है?

5. क्या आपको लगता है कि बाघ और तेंदुआ मनोवैज्ञानिक या आर्थिक रूप से आपके लिए खतरा हैं? अगर हाँ। क्यों? क्या कोई घटना है?

6. क्या आपको बाघों और उनके संरक्षण कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी है?

[61] फॉर्म की प्रतिलिपि लेखक के पास उपलब्ध है

Bibliography

(2012). *A National Report on Community Forest Rights Under the Forest Rights Act; Status and Issues.* Community Forest Rights Learning and Advocacy Process.

(2021). *Annual Plan of Operation for Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary under Integrated Development of Willdlife Habitats (Centrally Sponsored Scheme) 2021-22.* Rajsamand: Deputy Conservator of Forests, Willdlife.

Chhangani, A. K., Robbins, P., & Mohnot, S. M. (2008). Crop Raiding and Livestock Predation at Kumbhalgarh Willdlife Sanctuary, Rajasthan India. *Human Dimentions of Wildlife*, 305-316.

Dowie, M. (2009). Adivasi. In M. Dowie, *Conservation Refugees: The Hundred-Year Conflict Between Global Conservation and Native Peoples* (pp. 119-132). Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

Dutta, A. (2007, March 31). Ban on grazing hits Raikas community hard. *Down to Earth*.

(2016). *Empirical study on implementation of wildlife protection laws in India.* Noida: Symbiosis Law School.

Fanari, E. (2019, January). Relocation from protected areas as a violent process in the recent history of biodiversity conservation in India. *Ecology, Economy and Society-The INSEE Journal, 2*(1), pp. 43-76.

Jhala, Y. V., Qureshi, Q., & Nayak, A. K. (2020). *Status of Tigers, copredators and prey in India, 2018.* National Tiger Conservation Authority, Government of India, New Delhi and Wildlife Institute of India, Dehradun.

Karanth, K. K., Jain, S., & Weinthal, E. (2019). Human-Wildlife interactions and attitudes towards wildlife and wildlife reserves in Rajasthan, India. *Oryx*, 523-531.

Khanna, S. (2008). *Exclude and Protect: A Report on the WWF case on Wildlife Conservation in the Supreme Court of India.* New Delhi: Society for Rural Urban and Tribal Initiative.

Khanna, S. (2008). *Exclude and Protect: A Report on the WWF Case on Wildlife Conservation in the Supreme Court of India.* New Delhi: Society for Rural Urban and Tribal Initiative SRUTI.

Kohler Rollefson, I. (2014). *Camel Karma: Twenty Years Among India's Camel Nomads.* Tranquebar Press.

Kohler Rollefson, I. (2015, June 7). High and Dry: Conservation cannot ignore pastoral rights. *Down to Earth*.

Kohler-Rollefson, I., & Rathore, H. (2021). The Case of the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary and Camel Pastoralism in Rajasthan (India). *Sustainability*(Inclusive Governance and Management of Protected and Conserved Areas).

Lasgorceix, A., & Kothari, A. (2009, December 5-11). Displacement and Relocation of Protected Areas: A Synthesis and Analysis of Case Studies. *Economic and Political Weekly, 44*(49), pp. 37-47.

(n.d.). *Management Plan of Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary (2003-2013).* Rajsamand: Rajasthan Forest Department .

(n.d.). *Management Plan of Tadgarh Raoli Wildlife Sanctuary (2003-2013).* Rajsamand: Rajasthan Forest Department.

(2010). *Manthan: Report of the National Committee on Forest Rights Act.* Ministry of Environment and Forests and Ministry of Tribal Affairs, Government of India.

Pathak Broome, N., & Wani, M. (2011). Field notes from Kumbhalgarh Visit from 31st May to 2nd June 2011.

Press Release: Forest Rights Act in Protected Areas of India-A Report. (2017, November 15). New Delhi: CFR-LA; AIFFM and ATREE.

Rangarajan, M., & Shahabuddin, G. (2006, September). Displacement and Relocation from Protected Areas: Towards a biological and Historical Synthesis. *Conservation and Society*, pp. 359-378.

Robbins, P., McSweeney, K., Chhangani, A. K., & Rice, J. L. (2009). Conservation as It Is: Illicit Resource Use in a Wildlife Reserve in India. *Human Ecology*, 559-575.

Sarin, M. (2005). Laws, Lore and Logjams: Critical Issues in Indian Forest Conservation. *Gatekeeper, 116*.

Tatpati, M., & Ajit, S. (2019). *Raika Women Speak: Articulations from Four Villages Around Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary.* Pune: Kalpavriksh and Academic-Activist Coproduced Knowledge for Environmental Justice (ACKnowl-EJ).

Tatpati, M., & Chettri, A. (2019). Field notes from Kumbhalgarh: Interview with SDOs of Desuri and Bali.

Upadhyay, S., & Sane, A. (2009). *Conserving Protected Areas and Wildlife: A Judicial Journey.* (S. Worah, V. Uppal, & P. Gupta, Eds.) New Delhi: World Wide Fund for Nature.

Supported By

ROHINI NILEKANI *philanthropies*

phf Paul Hamlyn Foundation